OK"k % 40(vad % 10 (vDVcj % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

नई दिल्ली; 28 सितम्बर, 2018

सीटू महासचिव तपन सेन सम्बोधित करते हुए

10 सितम्बर भारत बन्द

दिल्ली

पश्चिम बंगाल

बिहार

तमिलनाडू

पंजाब

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

सीटू मजदूर

lhvkbVh;s dk e[ki=

अक्टूबर 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

etnjk dk jk"Vªh; dUo'ku	4
,d etcr etnj&fdlku xBc/ku & d- geyrk	6
10 flrEcj gMrky &,- vkj- fl/k	8
dke dh cnyrh ÁÑfr fo'o fodkl fjikVZ 2019 &,-d- je'k	9
fo'o fodkl fjikVZ & ihVj ckdfol	13
m|kx o {k=	15
jkT;k s	19
vrjk"Vªh;	21
miHkkDrk eY; lpdkd	26

सम्पादकीय

दो दिनी आम हड़ताल की ओर भारत के मजदूर

भाजपा हटाओ - मोदी हटाओ

28 flrEcj dk fnYyh esa gq, etnjk d lk>s jk"Vªh; dUo'ku us 8&9 tuojh 2019 dk etnjk dh nks fnolh; jk"Vªh; gM+rky dk vk0gku fd;k gSA bl gM+rky d igys yxkrkj 3 eghus rd jkT;] ftyk] {k= vkj m|kx vk/kkfjr lEesyu gksxsA vfHk;kuk vkj çn'kuk dh >Mh yxxhA

;g dæ esa Hkktik jkt vkus d ckn rhljh vkj vc rd dh lcls cMh vke gM+rky gksxh ftlesa fdlku vkj egurd'kk d ckdh fgLlk Hkh c<p< dj Hkkxhnkjh djsxsA blls igys 2 flrEcj 2015 vkj 2 flrEcj 2016 dh nks tcjnLr dke;kc gM+rkys gks pqdh gSA dæh; VªM ;fu;uk vkj QMj'kuk d vk0gku ij 2017 es 9&11 uoEcj dk rhu fnolh; egkiMko lsln ij Mkyk tk pqdk gSA

;g ljdkj /kk[kk/kMh HkVdko vkj foHkktu dh etnj fojks/kh] tu fojks/kh] jk"Vªfojks/kh rkuk'kkg ljdkj gSA etnjk dk blus pkrjQk geyk dk fu'kkuk cuk;k gSA —f"k lsdVj es gq] fdlku viuh dtsefä vkj Qly d ykHkdkjh nkek dh xgkj dj jgs gSa([kr etnj U;ure oru vkj lkekftd lqj{kk dh ekx mBk jgs gSa% vke voke ykdrs=] ftnxh vkj jksztxkj cpkus dh tíktgn es efCryk gS(exj eknh vkj Hkktik dh ljdkjs mu ij ykBh&xksfy;k cjlkrs gq, dkjikjsV d eukQk d igkM+ [kM+s djus vkj turk dh ,drk dk fc[kjus es e'kxqy gSA

lhVw us bl lky egurd'k voke d bu nkuks cfu;knh oxks d vkØks'k dk mHkkj ns[kk gSA etnj&fdlkuks us feydj 9 vxLr dks ty Hkjks vknksyu djds vkj 5 flrEcj dk vHkrkiks vkj ,frgkfld etnj&fdlku lq?k"kZ jsyh djds viuh lq?k"kZ ,drk çnf'kZr dh gSA bu dk;kZokfgk vkj mues gqbZ fojks/k Hkkxhnkfj;ksa us turk es tcjnLr vkRefo'okl vkj mRlkg dk lapkj fd;k gSA etnj fdlkuks d bl xBc/ku us vke çfrjks/k vknksyu dks Hkh LQfrZ çnku dh gSA ;g tk'k 10 flrEcj d Hkkjr cn dh lQyrk es fn[kk tks iVªky&Mhty vkj vke t:fj;kr dh phtks dh nke ofí vkj vkdk'k Nwrh egxkbZ d f[kykQ FkkA

tkfgj gS fd viuh jkt d cpsa gq, 6 eghuksa es ;g d,jikjsV&lkEçnkf;d&Hk"V&rkuk'kkg gqdsr viuh uhfr;ksa vkj jktuhfr dh fn'kk es dkbZ cnyko djus ls jghA blh chp] bl dUo'ku d Bhd ckn 5 jkT;ksa d fo/kkulHkk pqukoksa Hkh gksus gSA

fygktk ;g t:jh gks tkrk gS fd bl dUo'ku d ckn gM+rky d fy, 'kq: gksus okyk vfHk;ku vkj vknksyu&

Hkktik gVkvks(eknh gVkvks(ns'k cpkvks d vfHk;ku d lkFk tkM+dj pyk;k tk;sA

मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

8-9 जनवरी - 2 दिवसीय आम हड़ताल

28 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में हुए मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देश के मजदूरों व कर्मचारियों से सबंद्धताअें से पार जाकर 8–9 जनवरी 2019 को 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के लिए उठ खड़े होने का जोरदार आह्वान किया है; तथा मोदी सरकार की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी 12 सूत्रीय माँगों को लेकर हड़ताल के पहले 3 महीने का सघन अभियान चलाने का बुलन्द आह्वान किया है। कन्वेंशन ने सर्वसम्मति से कारवाहियों का कार्यक्रम भी पारित किया है – जिसमें अक्टूबर–नवम्बर में राज्य, जिला व उद्योग स्तर पर संयुक्त कन्वेंशन, गेट मीटिगें व रैलियां आदि नवम्बर–दिसम्बर में; 17–22 दिसम्बर 2018 के दौरान प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रुप से हड़ताल के नोटिस तथा 8–9 जनवरी 2019 को दो दिनी आम हड़ताल।

मावलंकर सभागार, देश के सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) तथा स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों के करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से लबालब भरा हुआ था। कन्वेंशन की अध्यक्षता सीटू अध्यक्ष के. हेमलता और अशोक सिंह (आईएनटीयूसी), रामेंद्र कुमार (एआईटीयूसी), एसएन पाठक (एचएमएस), आरके शर्मा (एआईयूटीयूसी), प्रोबीर बनर्जी (टीयूसीसी), लता (सेवा), संतोष राय (एआईसीसीटीयू), के. नटराजन (एलपीएफ) और सत्रुजीत सिंह (यूटीयूसी) आदि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय नेताओं ने की थी।

कन्वेंशन की घोषणा इन्टक अध्यक्ष जी. संजीव रेड्डी ने पेश कियाा। घोषणापत्र का समर्थन करते हुए सम्मेलन को सीटू के महासचिव तपन सेन और अमरजीत कौर (एटक), हरभजन सिंह सिद्धू (एचएमएस), स्टेवान (एआईयूटीयूसी), जीआर शिवशंकर (टीयूसीसी), राजीव दीमरी (एआईसीसीटीयू), अषोक घोष (यूटीयूसी) के महासचिवों; और सेवा अध्यक्ष सोनिया जॉर्ज, एलपीएफ के संयुक्त महासचिव पेचिमुथू केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रेलवे महासंघों के नेताओं के एनजेसीएस नेताओं, एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा और एनएफआईआर अध्यक्ष गुमनाम सिंह ने संबोधित किया। घोषणापत्र को सर्वसम्मति से जोरदार नारों के साथ सर्वसम्मति से अपनाया गया।

घोषणापत्र –

8 अगस्त, 2017 को आयोजित मजदूरों के पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार, 9–11 नवंबर 2017 को दिल्ली में हुए 3 दिनों के महापड़ाव की सफलता को ध्यान में रखते हुए; 17 जनवरी 2018 योजना मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल;23 जनवरी – 23 फरवरी 2018 के दौरान मजदूरों का देशव्यापी संयुक्त सत्याग्रह आंदोलन आदि जो कड़े संघर्षों से हासिल अधिकारों की रक्षा में, मजदूर विरोधी एवं और नियोक्ता–समर्थक श्रम संहिता के खिलाफ, मौजूदा श्रम कानूनों और आईएलओ कन्वैन्शनों के उल्लंघन के खिलाफ, संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों में मजदूरों पर हमलों; और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, सभ्य नौकरियों के निर्माण, न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन के रूप में 6,000 रुपये, पीएसयू शेयरों को बेचने और निजीकरण के सभी कदमों को रोकने के लिए, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए और अन्य सभी मांगों के 12 सूत्रीय चार्टर सहित मजदूरों की लंबित अन्य माँगों के लिए आन्दोलन किए गए हैं।

घोषणापत्र ने नोट किया कि केंद्र सरकार द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता को कमजोर कर रही है; वार्षिक आईएलसी मीटिंग आयोजित नहीं की जा रही है; नियुक्त मंत्रियों का समूह ट्रेड यूनियनों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है; श्रम मंत्रालय केवल रिकॉर्ड के लिए कानूनों के संशोधन पर त्रिपक्षीयता का प्रदर्शन कर रहा है, जिसका केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने लगातार बहिष्कार किया है।

सरकार चार लेबर कोडों के माध्यम से मजदूर–विरोधी और नियोक्ता–समर्थक श्रम कानून सुधारों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है, नवीनतम, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926; निश्चित अवधि का रोजगार; 'परिवार प्रतिष्ठान' में 14 साल से कम आयु के बाल श्रम की अनुमति; अपरेंटिसशिप अधिनियम आदि में नियोक्ता समर्थक परिवर्तन हैं।

सरकार ठेका मजदूरों के लिए समान काम के लिए समान वेतन तथा हितलाभ, 15वीं आईएलसी की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न्यूनतम मजदूरी, योजना मजदूरों को 'मजदूरों' के रूप में वैधानिक स्थिति के लिए आईएलसी सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है; वास्तविक वेतन और महंगाई भत्ता पर पेंशन के योगदान और गणना पर ईपीएस, 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले; और निर्माण मजदूरों सेस फंड पर उनके फैसले और इसके उचित उपयोग और लाभ और निर्णय लेने के तंत्र में ट्रेड यूनियनों को अनदेखा कर रही है।

सरकार आक्रामक रूप से सभी सामरिक पीएसयू का निजीकरण करने वाली नवउदारवादी नीति पर चल कर रही है, जिसके खिलाफ इन उद्योगों के मजदूर एकजुट हो कर लड़ रहे हैं; नतीजतन नौकरी के अवसरों में कमी, नौकरी के नुकसान, छंटनी, वर्कलोड में वृद्धि, सरकारी प्रतिष्ठानों में नियमित पदों की 3% अनिवार्य वार्षिक समाप्ति, भारी गिरावट आदि; बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति; रोजगार सृजन में वास्तव में नकारात्मक दिशा में है; उद्योगों की बंदी करना; आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियों की समाप्ति हो रही हैं। बैंकों और दूरसंचार क्षेत्र में ठेका कर्मचारियों का छंटनी हो रही है। बीमा क्षेत्र में भी इस तरह के हमले हो है।

पेट्रोलियम उत्पादों, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, दवा आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, जनता में दरिद्रता बढ़ा रही है; नोटबन्दी और जीएसटी ने गहरा संकट पैदा किया है; सामाजिक क्षेत्र और कल्याणकारी योजना में सरकार के व्यय में भारी कटौतियाँ असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के हालात को और अधिक प्रभावित कर रही हैं। यह सब कुछ आम जनता पर भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में दुखों के पहाड़ गिरा रहे हैं। अपनी स्वदेशी उत्पादक और विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करके, जूनियर भागीदारों के रूप में भारतीय कॉरपोरेटस् बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की सेवा के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से हानि पैदा कर रहे हैं।

सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और प्रस्तावित संयुक्त एकजुट 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग में विसंगतियों को हटाने, एनपीएस की स्क्रैपिंग, न्यूनतम मजदूरी और फिटनेस की समीक्षा, भत्ते की बहाली, पेंशन फिटनेस इत्यादि और पीएसयू वेतनवार्ता और द्विपक्षीय समझौतों में देरी/बाधा डाल रही है और सरकार के विश्वासघात के खिलाफ रक्षा और रेलवे सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रस्तावित संयुक्त एकजुट कार्रवाही का कन्वेंशन पूरी तरह से समर्थन करता है।

कन्वेंशन ने योजना मजदूरों के संयुक्त संघर्षों को पूरा समर्थन दिया; घरेलू, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर; और सभी प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए एक रैंक एक पेंषन की मांग की।

कन्वेंशन ने अंतर्राश्ट्रीय मंचों सहित त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों और समितियों के सभी प्रतिनिधित्वों से इन्टक को वंचित करने के षड्यंत्रकारी और आधिकारिक हमले की निंदा की।

कन्वेंशन ने वन अधिकार अधिनियम, एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए अपने संयुक्त मंचों के तहत राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाले किसानों के साथ पूर्ण एकजुटता जतायी है।

कन्वेंशन ने केंद्र में भाजपानीत एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया, जिसमें राफेल सौदा सबसे बड़ा घोटाला है, और एसएसबी और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में एवं भर्ती परीक्षा घोटाले हैं।

कन्वेंशन ने सरकार के संरक्षण के तहत सांप्रदायिक और विभाजनकारी षड़यंत्रों की दृढ़ता से निंदा किया, जो समाज में संघर्षों के माहौल को गैर–मुद्दों की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं और मजदूरों और मेहनतकशों की एकता को बाधित करते हैं जो 12 सूत्रीय माँगपत्र के आधार पर चल रहे संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ।

कन्वेंशन ने विरोध प्रदर्शन की मजबूत आवाज उठाने और अनुचित तरीके से यूएपीए, एनएसए और सीबीआई, एनआईए, आईटी का उपयोग करके असंतोश को दबाने और आतंक और असुरक्षा के माहौल का निर्माण करने के लिए भाजपा सरकार की निंदा करने का आह्वान किया है।

घोषणापत्र ने मजदूर वर्ग के संयुक्त मंच से इस मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीति शासन व्यवस्था को पूरी तरह से पराजित करने और अपने संघर्श को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।

एक मजबूत मजदूर किसान गठबंधन की ओर

के. हेमलता अध्यक्ष, सीटू

राष्ट्रीय राजधानी में संसद के पास ऐतिहासिक मजदूर किसान संघर्ष रैली में जुटे लाखों मजदूरों किसानों व खेतमजदूरों ने सर्वसम्मति से इन तीन वर्गीय संगठनों की एकता को मजबूत करने तथा जन–विरोधी राष्ट्र–विरोधी नव उदारवादी नीतियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाइयों को तेज करने का निर्णय लिया है। रैली ने देश भर के करोडों मजदूरों किसानों व खेतमजदूरों से एक दूसरे के स्वतंत्र संघर्षो को हर संभव मदद व एकजुट प्रदान करने और मजबूत संयुक्त कार्रवाईयों को अंजाम देने का आह्वान किया।

इसलिए मजदूर 28. 30 नवम्बर के संयुक्त किसान मार्च को अपना सक्रिय समर्थन व एकजुटता प्रदान करेंगे जब देश के विभिन्न भागों से आये हजारों किसान लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली में जमा होंगे। देश भर में किसान 28 सितम्बर 2018 को होने वाले ट्रेड यूनियनों के संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में तय किये जाने वाले देशव्यापी हडताल समेत संघर्ष के कार्यकमों के साथ एकजुटता के साथ खडे होगें।

किसान मजदूर शहीद दिवस जिसे पिछले तीन वर्ष से 19 जनवरी को संयुक्त रुप से मनाया जा रहा है को 2019 में और भी प्रभावी ढ़ग से मनाया जायेगा।

देश की धन संपदा पैदा करने वाले समाज के तीन प्रमुख तबको का संयुक्त कार्रवाईयों के लिए उत्साह शुरु दिन से ही स्पष्ट था। मार्च 2018 में सीटू की जनरल कौंसिल के इस एलान का कि सीटू द्वारा तैयार किये गये विशाल रैली के कार्यक्रम में किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन ने शामिल होने की सहमति दी है जोरदार तालियों से स्वागत किया गया था। किसान सभा के 9 अगस्त के जेल भरों कार्यक्रम में लाखों मजदूरों की भागेदारी और सीटू के 14 अगस्त की रात्रि के सामूहिक जागरण कार्यक्रम में कई जगहों पर किसानों की भागेदारी ने उत्साह को बनाये रखा।

केरल में व कर्नाटक के कुछ हिस्सों तथा बाद में असम व उत्तर – पूर्व के अन्य राज्यों में तबाही मचाने वाली बाढ. तथा देश के बहुत से भागों में लगातार बारिश भी देश भर के लाखों मेहनतकशों के उनके जीवन को तबाह कर रही नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंदे करने के हौसले को कम नहीं कर सकी।

छत्तीसगढ के एक आदिवासी किसान ने इसे कुछ ऐसे बयान किया – हमारी समस्यायें इस बारिश से कहीं बड़ी है इसी लिए हम आये है।दिल्ली में हुई लगातार बारिश ने सीटू के लिए भारी मुश्किलें पैदा की जिसने रैली के लिए राजधानी आने वालों को ठहराने के लिए 2 सितम्बर की शाम से शिविर आयोजित करने का फैसला किया था।

मैदान का एक बडा हिस्सा कीचड और पानी से भरा था जिससे मैदान के एक – तिहाई हिस्सें में ही टैंट लगायें जा सके। रैली में भाग लेने वालों की दिक्कतों को कम करने कें लिए हर संभव उपाय किये गये और आपात व्यवस्थायें करनी पडी। इसकें बावजूद हजारों लोगों को कोई जगह प्रदान नही की जा सकी और उन्हें रेलवे स्टेशनों पर रुकना पडा। लेकिन रैली में भाग लेने वालों ने दिक्कतों का सामना और बहुत ही अनुशासित ढंग से कर सहयोग किया। एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की। इसके स्थान पर गीतों व छोटे नाटकों आदि के साथ कैम्प में एक उत्सव का सा माहौल था और विभिन्न राज्यों के लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने संघर्षों के अनुभवों को सांझा किया। रैली में आये लोगों के लिए केवल बारिश ने ही मुश्किलें पैदा नहीं की। कई राज्यों में प्रशासन व पुलिस ने घमकियों व डराने सहित लोगों को रैली में आने से रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया। भाजपा शासित मणिपुर में पुलिस ने मजदूर–किसान संघर्ष रैली में राज्य से मजदूरों–किसानों को भेजने के बारे में एक प्रेस बयान जारी करने पर नेतृत्व को दो घंटे तक पुलिस थाने में रोके रखा।

मजदूरों, विशेषकर योजना मजदूरों को रैली में भाग लेने से रोकनें के लिए सोशल मीडिया में बडें पैमाने पर झूठी व गुमराह करने वाली रिपोर्टो को फैलाया गया। कई राज्यों में अधिकारियों ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की घमकी दी थी और उसी दिन बैठके आदि रख दीं।

इस सब के बावजूद समूचे देश से लाखों मजदूर, किसान व खेतमजदूर दिल्ली पहुंचे गये। तीनों संगठनों के नेताओं के नेतृत्व में सुबह 9 बजे रामलीला मैदान से जुलूस शुरु हुआ जो संसद मार्ग पर एक विशाल सभा के रुप मैं संपन्न हुआ। दोपहर के 12:30 बजे तक भी जुलूस का अंतिम छोर आम सभा स्थल पर नहीं पहुंचा था। रैली के समापन के समय तक भी सैकडों लोग दिल्ली पहुँच रहे थे। दशकों में दिल्ली मैं इतनी बडी रैली नहीं हुई थी। भारी ट्रैफिक जाम था जाम का कारण पूछ रहे किसी व्यक्ति को एक पुलिस वाले ने उत्तर दिया था मुझे नहीं पता लेकिन वे कह रहे हैं कि एक रात में ही लाखों लोग दिल्ली में आ घमके है।

रैली में भाग लेने बडी संख्या में दिल्ली आने के लिए सामने आयी मुश्किलों को झेलने में दिखाया गया धैर्य उन मेहनतकशों के उस गुस्से की झलक था जो सरकार की नीतियों के कारण था जिनके चलते उनकी हालत बदतर होती जा रही है और जिन्हें मजदूर किसान संघर्ष रैली में उठाया था। संसद के समीप जमा हुए लाखों लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए कटिबद्व थे। वे उन नीतियों को पलटवाने के लिए कमर कसे थे जो व केवल उनके व्यक्तिगत हितों के विरुद्व बल्कि पूरे राष्ट्र के हितों के विरुद्व हैं।

यही वह लगन थी जिससे वे विपरीत मौसम का अधिकारियों व पुलिस की घमकियों व डर का सामना कर सके और हजारों किलोमीटर की मुश्किलों से भारी मात्रा कर सके। हजारों आंगनवाडी, आशा व मिड़–डे–मील मजदूर, ठेका मजदूर, मनरेगा मजदूर, पंचायत मजदूर, ग्रामीण चौकीदार आदि पहले अपने गांवों से चलकर नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे और फिर खचाखच भरे ट्रेनों के डिब्बों में 2–3 दिन की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। वे साथ में अपना खाना लाये थे और कितनों ने अपना सामान सिर पर रखकर मार्च में भाग लिया था। महत्वपूर्ण है कि रैली में भाग लेने वालों में आधी से ऊपर महिलायें थी। जहां योजना कर्मी विशेषकर आंगनवाडी कर्मी आशा व मिड–डे–मिल कर्मी वर्करों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी वही महिला मनरेगा मजदूरों बीड़ी मजदूरों आदि ने भी भारी संख्या में रैली में भाग लिया।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सार्वजनिक व निजी दोंनो ही क्षेत्रों से औद्योगिक मजदूरों ने भारी संख्या में भागेदारी की। राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की एस एन एल बैंक बीमा कर्मचारियों व स्कूल टीचर्स ने भी हजारों की संख्या में भाग लिया।

इस तथ्य के बावजूद कि रैली मैं सबसे पीछे रहने वाले हजारों लोग भाषण नहीं सुन सके क्योंकि पुलिस ने एक स्थान से आगे माइक नहीं लगाने दिये थे और इसके बावजूद कि उनमें से बड़ी संख्या में हिंदी नहीं समझतें थे जिसमें ज्यादातर भाषण हुए ज्यादातर लोग तब तक रैली में जमें रहे जब तक कि उसके समापन की घोषणा नहीं कर दी गयी।

स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रभात पटनायक सीटू किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के महासचिव तपन सेन, हन्नान मोल्ला विजयराघवन तीनों संगठनों के अन्य नेताओं के साथ मंच पर थे। सीटू किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के अध्यक्ष, हेमलता, अशोक घवले व एस थिरुनावकारासु अध्यक्ष मंडल में थे।

तपन सेन, हन्नान मोल्ला व विजयराघवन अपने–अपने संगठन की ओर से मुख्य वक्ता थे। इस सभी ने सरकार की कारपोरेट पक्षघर नीतियों की कडी आलोचना की तथा इन नीतियों को परास्त करने के लिए संघर्ष तेज करने का प्रण किया। इस सघंर्ष को तेज करने के लिए भाजपा सरकार को हराना आवश्यक है। सीटू किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों व संबद्व फेडरेशनों की और से 30 नेताओं ने सभा में भाषण दिया। किसान सभा की और से अमराराम खेतमजदूर यूनियन की और से बृजलाल भारती तथा सीटू की और से तपन सेन ने समापन भाषण किया तपन सेन नें रैली के बाद वापस लौटने के फौरन बाद संयुक्त अभियान व संघर्ष को जमीनी स्तर पर ले जाने पर जोर दिया। उन्होनें कहा कि मोदी को हराना जहां एक फौरी आवश्यकता है वहीं यह जरुरी नहीं कि ऐसा होने पर जनविरोधी नीतियां भी बदल जायें। मजदूरों–किसानों का लगातार संघर्ष न केवल नवउदारवादी नीतियों को बदलनें के लिए आवश्यक है बल्कि उस पूंजीवादी व्यवस्था में बदलाव के लिए भी जरुरी है शोषण जिसका अभिन्न अंग है।

10 flrEcj gMrky

नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ जनता का राजनीतिक विरोध

ए. आर. सिंधु , सचिव, सीटू

10 सितम्बर, 2018 को केरल (बाढ़ पुर्नवास व राहत कार्यों को छोड़कर) कर्नाटक, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, पुडुच्चेरी, जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों में बंद जैसी स्थिति रही। झारखंड, ओडिसा समेत बहुत से राज्यों, उत्तर –पूर्व व उत्तर व दक्षिण भारत में लोग रेल रोको, रास्ता रोको, प्रदर्शनों, धरनों आदि जैसे जन प्रतिरोधों के लिए स्वतस्फूर्त बाहर सड़कों पर आये। त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर लोकप्रिय विरोध कार्रवाइयां हुईं।

वामपंथी दलों के 10 सितम्बर को देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के साथ ही उसी दिन देश की अधिकतर विपक्षी पार्टियों के वैसे ही आह्वान ने हाल के महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों– पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और उसके परिणामस्वरुप आम मंहगाई के खिलाफ जनता के गुस्से को प्रकट किया। हड़ताल को मिला व्यापक समर्थन केन्द्र में भाजपा के शासन को हराने की लोगों की इच्छा को दिखाया है।

वामपंथी दलों के आह्वान का पूरा समर्थन करते हुए सीटू ने देश भर के मजदूर वर्ग से जनता की आम हड़ताल को पूर्ण सफल बनाने की अपील की। मजदूर व अन्य मेहनतकश तबके भाजपा की मोदी सरकार द्वारा थोपे गये अभूतपूर्व आर्थिक बोझ से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। एक ओर मोदी सरकार मूल्य नियन्त्रण में असफल रही है; दूसरी ओर मजदूरों का वेतन जस का तस है, रोजगार के मौके कम हुए हैं; सरकार ने न तो स्वामीनाथन फामूर्ले के अनुरुप किसानों को लाभकारी मूल्य दिया है और न ही उनके कर्ज माफ किये हैं; जबकि उसने बड़े कारपोरेटों के करीब 4 लाख करोड़ रुपये के कर्जे माफ कर दिये है। जनता के ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने की बजाय भाजपा व मोदी सरकार लोगों को ध्यान हटाकर उनके बीच घृणा व दुश्मनी पैदा कर रही है। यह सत्तावादी तरीकों से अपने खिलाफ गुस्से व असंतोष को दबाने का काम कर रही है।

10 सितम्बर की हड़ताल के समर्थन में दिये गये सीटू के बयान में कहा गया कि, '' 5 सितम्बर, 2018 की राष्ट्रीस राजधानी में हुई विशाल 'मजदूर किसान संघर्ष रैली ' में मजदूरों, किसानों व खेतमजदूरों की भारी हिस्सेदारी मोदीनीत भाजपा सरकार की मजदूर–विरोधी, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मेहनतकश जनता के गुस्से को व्यक्त करता है।''

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वामपंथी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। इसका नेतृत्व सी पी आइ (एम) महासचिव सीताराम येचुरी, सी पी आइ महासचिव सुधाकर रेड्डी तथा अन्य वामदलों के नेताओं ने, सीटू अध्यक्ष हेमलता, महासचिव तपन सेन, उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार; एटक महासचिव अमरजीत कौर व अन्य ने किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सी पी आइ (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि आज का भारत बंद, जिसका समर्थन 21 विपक्षी दलों, कामकाजी लोगों किसानों, मजदूरों, छात्रों महिलाओं, दलितों व आदिवासियों ने किया है, 2019 में जन विरोधी भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले विशाल अभियान का रुप लेगा।

केवल 4 दिन के भीतर ही 10 सितम्बर की हड़ताल में मेहनतकशों की विशाल भागेदारी भारत में जनता के प्रतिरोध आन्दोलन में एक गुणात्मक परिवर्तन का सूचक है। यह आह्वान राजधानी में हुई 5 सितम्बर की विशाल मजदूर किसान संघर्ष रैली के फौरन बाद किया गया, जिससे पहले 9 अगस्त को सफल देशव्यापी मजदूर किसान जेल भरो कार्यक्रम किया गया था।

नवउदारवाद के उद्भव के बाद पहली बार, बुनियादी वर्गों मजदूर वर्ग, खेतमजदूर व गरीब किसानों की राजनीति व आन्दोलन केन्द्र बिन्दु के रुप में सामने आया ओर युवाओं, छात्रों, महिलाओं, पर्यावरणविदों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, के अन्य प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन एक धारा में आये।

मजदूरों, किसानों, की इन्हीं संयुक्त कारवाइयों ने 10 सितम्वर की सफल हड़ताल का माहौल बना दिया था। जनता के वास्तविक मुद्दे धीरे–धीरे मुख्यधारा के राजनीतिक बहस–मुबाहिसे को प्रभावित कर रहे हैं। अब नीतियों पर बहस की जा रही है। जो इन्ही नवउदारवादी नीतियों का समर्थन या पालन करते रहे हैं वे अब नीतियों के विरुद्ध इस उस तरीके से खड़े होने को बाध्य हैं। 10 सितम्बर नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ जनता के राजनीतिक विरोध को व्यक्त करता है। मजदूर किसान संधर्ष रैली के फैसले के अनुरुप बुनियादी वर्गों के व्यापक व लगातार संधर्षों तथा जन एकता जन अधिकार आंदोलन जैसे जनता के प्रतिरोध आंदोलनों व मंचों को ताकतवर बनाने मे यह ओर मजबूत होगा।

विश्व विकास रिपोर्ट 2019

काम की बदलती प्रकृति

ए के रमेश

विश्व विकास रिपोर्ट 2019 का मुखपृष्ट

विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 का मसविदा जारी हो चुका है। डब्ल्यू डी आर 2019 का शीर्षक है ''कार्य की बदलती प्रकृति।''

विश्व विकाय रिपोर्ट 2013

डब्ल्यू डी आर 2013 का शीर्षक था '' नौकरियाँ '' और इसके निष्कर्ष नवउदारवादी सुधारकों को सही ठहराने वाले थे। रिपोर्ट में कहा गया था '' ई पी एल (एम्पलायमेंट प्रोटेक्शन लेजिसलेशन) यानी रोजगार सुरक्षा कानून और न्यूनतम वेतन युवा लोगों से महिलाओं,कम कुशल लोगों से तथा सबसे सही उम्र व अच्छे पढ़े–लिखे लोगों से रोजगार को दूर कर सकते हैं।''

इसका अर्थ यह है कि,महिलाओं व अकुशल लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब न्यूनतम वेतन व अन्य श्रम कानूनों को हटा दिया जाये। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए,डब्ल्यू डी आर ने ओ ई सी डी रिपोर्ट का हवाला देकर कहा,'' ओ ई सी डी के सबसे ताजा अनुभवों से पता लगा है कि यूनियन के दायरे में 10% पाईन्ट की कमी रोजगार में 0.8 % पाईन्ट की वृद्धि से जुड़ी है।'' इससे पता चलता है कि यदि ट्रेड यूनियन न हों तो ज्यादा रोजगार होगा। ओ ई सी डी ने तथापि,किसी ट्रेड यूनियन की अनुपस्थिति के चलते पैदा होने वाले रोजगार की संख्या पेश नहीं की। डब्ल्यू डी आर 2013 में रोजगार की हानि के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के बावत कुछ बुनियादी विचार सामने रखा था।

डब्ल्यू डी आर 2019 : काम की बदलती प्रकृति

डब्ल्यू डी आर 2019 का मसविदा इंगित करता है कि 2013 से 2018 तक काम के ढांचे में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। जब प्रोद्योगिकी बदलकर रोबोटिकरण तक आ गई तब उसके द्वारा कामों (नौकरियों) के ढांचे में लाये गये बदलाव छोटे नहीं है। दुनिया भर में काम में लाये जा रहे रोबोटों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2019 तक, 14 लाख नये औद्योगिक रोबोटों के काम में लगने के साथ दुनियाभर में उनकी कुल संख्या 26 लाख हो जायेगी। ताईवान स्थित विश्व के सबसे बड़े एसेम्बलर समूह फॉक्सकॉन ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में रोबोटों को लगाकर अपनी श्रम शक्ति में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी है। 2012 में उसमें 13 लाख मजदूर थे जो 2016 में के अंत तक घटकर 8,73,467 रह गये । अमेरिका में 1990 से 2016 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में 30 प्रतिशत नौकिरयां गायब हो गई। जिस तरह रोबोट चालक रहित कार चलायेंगे वैसे ही वे वित्तीय विश्लेषण का काम भी हाथ में ले लेंगें। कृतिम बृद्धिमता के उद्‌भव के साथ ही, रोजगार के छिनने की दर बढ़ गई है।

रशियन फेडरेशन का सबसे बड़ा बैंक, एसबे बैंक, कर्ज स्वीकृत करने के 30% मामले निपटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लेता है, आगामी 1 वर्ष से कम समय में यह बढ़कर 70% हो जाएगा। एसबे बैंक के कानूनी विभाग में पहले ही 3,000 रोजगारों की जगह रोबोट वकीलों ने ले ली है। प्रयास किए जा रहे हैं कि 2011 की 5900 कर्मचारी संख्या को 2021 तक घटाकर कुल 1,000 पर ले आया जाये।

इस तरह रिपोर्ट जो कहना चाहती है वह यह है कि अर्थव्यवस्थाऐं एक प्रोद्योगिकी बदलाव के बीच हैं जिससे काम की प्रकृति बदल पहीं है। परिणाम को निश्चित रुप से अभी नहीं बताया जा सकता हैं। उन्होने यह भी जोड़ा है कि जापान में 6% से 55% रोजगार खतरे में हैं और बोलिविया में 2018 में 10 से 20 लाख तक रोजगार स्वचालित हो जाऐंगें।

सामाजिक सुरक्षा उपायों में बदलाव

रिपोर्ट में मुख्यतः यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोद्योगिकी जिस तेजी से छलांग मार कर आगे जा रही है, उसके मद्देनजर अभी तक मालिकों पर आयद सामाजिक सुरक्षा उपाय बेमानी हो जाऐगे। रिपोर्ट के लेखकों को अचरज है कि मालिकान ऐसा बोझ कैसे सह पाऐंगे। बदलते परिदष्श्य में, जब काम की प्रकृति में ही इतना भारी बदलाव आ रहा है और वह ज्यादा से ज्यादा कैजुअल प्रकृति का होता जा रहा है; मालिक श्रम कानूनों को और ज्यादा उदार बनाने की माँग कर रहे हैं। बड़ी संस्थाऐं अब आगे न्यूनतम वेतन भी देने को तैयार नहीं होंगी। इसलिए, बदलते वक्त के अनुरुप, यह रिपोर्ट इन सभी कानूनों के उदारीकरण की माँग करती है।

गिग जॉब्स

रिपोर्ट के लेखक इस तथ्य से सहमत नहीं होंगे कि नियमित व स्थायी रोजगार के स्थान पर अनियमित व कैजुअल गिग जॉब्स, रोजगार चाहने वालों का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ वे यह मानते हैं कि दुनिया भर में स्वतंत्र रुप से काम करने वालों की अनुमानित आबादी लगभग 8 करोड़ 40 लाख है; तब भी उन्हें इस बात में यकीन है कि यह कुल श्रम शक्ति का एक छोटा प्रतिशत है। भारत में गिग जॉब्स की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है। लेखकों का वर्गीय पक्षपात ही उनसे इस तथ्य का कम आकलन कराता है।

गिग जॉब्स के बारे में रिपोर्ट कहती है ''औपचारिक रोजगारों के विपरीत, लेकिन परम्परागत अर्थव्यवस्था में अन्य अनौपचारिक रोजगारों की तरह ही – इसमें पेंशन नहीं है, स्वास्थ्य या बेरोजगारी बीमा नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं, या अन्य मजदूर सुरक्षा नहीं हैं।'' इसके तुरन्त बाद वे लिखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार स्वेच्छा से लिए जाते हैं क्योंकि वे अन्य उपलब्ध विकल्पों – अनौपचारिक सैक्टर के जॉब्स, से बेहतर होते हैं।

अब तक स्वीकार्य नजरिए से उलट

विश्व बैंक के चितंकों के नजरिये से उलट, डब्ल्यू डी आर 2019 के लेखक एक सच्चाई स्वीकार करते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम cMs iSekusij dj nsasl scp jghgSA cgqjk"Vªh; fuxekadh dqy vk; dk yxHkx 60% उन देशों से आता है जहाँ टैक्स की

प्रभावी दर 5% से कम है। माक्रोसॉफ्ट व एप्पल जैसे विशालकाय कॉरपोरेटस् अपने मुनाफों का 95% टैक्स की कम दर वाले देशों में रखते हैं। इसी प्रकार, डीजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां जो भारी मुनाफे कमाती हैं, बहुत ही कम टैक्स देती हैं।

निष्कर्ष

रिपोर्ट इस नजरिये को पूरी तरह से खारिज करती है कि प्रोद्योगिकी रोजगारों पर बहुत ही गंभीर असर डालती है। रिपोर्ट पुनः कहती है कि प्रोद्योगिकी से रोजगारों को खतरे की बात बढ़ा–चढ़ा कर कही जा रही है! उनका यह भी मानना है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका के घटने की बात निराधार है। गैरबराबरी के बढ़ने में ''राजनीतिज्ञों द्वारा लगाये गये आरोपों'' के बारे में भी उनकी ऐसी ही राय है।

नयी सामाजिक संविदा

रिपोर्ट कहती है कि ''यह अध्ययन नई सामाजिक संविदा के बारे में कैसे सोचा जाय के बारे में एक खाका प्रदान करता है जिसमें दो मुद्दों का संबोधित किया गया है : ज्यादातर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अनौपचारिकता को घटाने में असफलता; और मजदूरों की अगली पीढ़ी के लिए अवसरों की गैरबराबरी के बारे में बढ़ती चिंता।'' ऐसा लगता है कि जैसे सारा अध्ययन ही मजदूरों को जरुरी कल्याणकारी उपाया प्रदान करने के लिए है। एक तरह से वे सहमत हैं कि सारी दुनियाँ में मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब है। वे यह भी मानते हैं कि 1975 से श्रम का हिस्सा विकासशील देशों में 71% घटा है और विकसित देशों में 73% घटा है।

नई प्रोद्योगिकी के लिए नई श्रम शक्ति

प्रोद्योगिकीय प्रगति में बहुत तेज बदलाव हो रहा है। पहले उच्च कुशलता की माँग करने वाली एक प्रोद्योगिकी के विकास में सैकड़ों वर्ष लगते थे। आज, यह क्षण भर में विकसित हो रही है। आज के प्राईमरी स्कूल के छात्रों को भी कार्य की प्रकृति से दो–चार होना होगा जिसके बारे में अभी ज्ञात नहीं है। इसलिए, रिपोर्ट आज के बच्चों में बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए सामाजिक हस्तक्षेप करने की माँग करती है। उन्होंने पैरी प्री–स्कूल – 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1960 में अमरीका के मिशीगन में विकसित एक उच्च गुणवत्ता वाला कार्यक्रम, के अध्ययन को शामिल किया है। परिणाम दिखाता है कि हर एक डॉलर निवेश पर, समाज को 7 से 12 डॉलर का फायदा हुआ। दस्तावेज जिसमें राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की गई है और जो बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए संसाधन खोजने में असफल रहा है, बहुत ही स्पष्ट रुप से मानवीय पूँजी में निवेश के फायदों को सामने रखता है।

इस संदर्भ में दिया गया एक उदाहरण अपरोक्ष रुप से मोदी सरकार को निशाना बनाता है। यह कहता है कि मध्यप्रदेश में गरीब तबके का इलाज करने वाले 49% मेडीकल कार्मिकों के पास कोई योग्यता ही नहीं है। रिपोर्ट मानव पूँजी में निवेश के महत्व को रेखांकित करती है। वे राजनीतिक नेतृत्व को समझाने की कोशिश करते हैं कि मानव पूँजी में आज किया गया निवेश आने वाली पीढ़ियों की उत्पादक क्षमता को बढ़ायेगा। उन्होंने इस बारे में सही आकलन के लिए एक मानव पूँजी सूचकांक तैयार करने का भी सुझाव दिया है। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में, सीखना केवल बचपन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिये। यदि एक मजदूर अपने कार्य पर बराबर लगे रहने की योजना रखता है तो उसे अपनी कुशलता को लगातार बढ़ाना होगा। ऐसे में संगठनों के ढ़ाँचे व कार्यप्रणाली में जो बदलाव आ सकते हैं उनके बारे में कहना मुश्किल हो गया है।

बदलते संगठन

व्यापार के उदारीकरण के बाद, बाजारों के बीच एकीकरण बढ़ गया है और संगठनों की सीधी वृद्धि की व्यवस्था बदल गयी है। व`अब अलग–अलग देशों में अलग–अलग संयंत्रों के साझा उपक्रम बन गये हैं। एप्पल दुनियाँ भर में अलग–अलग कंपनियों से अपने उपकरणों का संग्रह करता है। ऐसी सुपरस्टार संगठनों की वृद्धि के साथ ही, श्रम की भूमिका लगातार नीचे गयी है। रिपोर्ट

में कहा गया है कि तब भी कुछ राजनीतिक नेताओं का विश्वास है कि लघु व मध्यम उद्योग लोगों को रोजगार के प्रदाता हैं, जबकि वास्तविक रोजगार प्रदाता तो सुपरस्टार संगठन हैं।

इसलिए, इन रोजगार प्रदाताओं के सामने इतनी बाधायें क्यों?

यह असली सवाल है जो रिपोर्ट में उठाया गया है। ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे कड़े श्रम कानून सुपर स्टार्स का गला घोंट देते हैं और दसे बदलना होगा। जो सुझाव दिया गया है वह ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का रास्ता साफ करने का है। उनकी सुविध ा के हिसाब से कानूनों को फिर से बनाना होगा। ऐसा देखा गया है कि इन कड़े श्रम कानूनों के कारण, उत्पादक पर बुरा असर पड़ता है और कर्मचारियों को हटाने के रास्ते में गैरजरुरी अड़चनों के कारण ये संगठन नई प्रोद्योगिकी अपनाकर आगे छलांग लगाने में असमर्थ हैं। ये सुपर स्टार्स इसलिए लोगों को ज्यादा रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति पैकेज भारी भरकम हैं और न्यूनतम वेतन के कड़े नियम कायदे हैं।

इसलिए, अब न्यूनतम वेतन का सवाल ही नहीं

इसलिए, क्यों न हम न्यूनतम वेतन के इस सिरदर्द को दूर कर दें। यही नहीं हमें रिटायरमेंट पैकेज को भी समाप्त कर देना चाहिये। रिपोर्ट में इस दलील को रेखांकित किया है कि ये सुपर स्टार संगठन ही वास्तव में विशाल रोजगार प्रदाता हैं। इसलिए हमें उनके रास्ते में बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए। मुद्दा एकदम आसान है। लेकिन, अमल बहुत ही जटिल है। लेकिन, विश्व बैंक के पास इसका भी हल है।

भारत की ओर देखो

उन्होंने जो इंगित किया है, वह भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मयम की सलाह है। यह और कुछ नहीं बल्कि उनकी यह घोषणा है कि बुनियादी आय की अवधारणा को इस देश के दो राज्यों में लागू किया जायेगा। सार्वभौम बेसिक इन्कम वह कार्यक्रम है जिसमें सरकार द्वारा सारी आबादी को न्यूनतम आय प्रदान की जायेगी। अरविंद सुब्रह्मयम के लिए यह सोचने का विषय नहीं है कि क्या कभी ऐसी योजना दुनियाँ के किसी भी अन्य देश में लागू की गई है। और विश्व बैंक के पंड़ित भी इस स्कीम के पीछे इतने गंभीर हैं; नहीं तो वे ऐसी एक स्कीम को कैसे सही ठहराते हैं जो मंगोलिया में लागू होने के एक महीने में ही बुरी तरह असफल रही?

न्यूनतम वेतन अब और नहीं

इस तरह ऐसे एक कार्यान्वित न हो सकने वाले कार्यक्रम की बात कर, रिपोर्ट सवाल करती है, यदि सरकार स्वयं ऐसी न्यूनतम आय की गारन्टी कर सकती है तो फिर इन बड़े पैमाने पर रोजगार देने वालों को नाराज कर भगाने के लिए न्यूनतम वेतन के नियम–कायदे रखने की क्या जरुरत है? मजदूरों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा के लिए भार भरकम रिटायरमेंट पैकेज दिया जाता है। यदि सरकार यह जिम्मेदारी उठा सकती है तो इसके सुपर स्टार कंपनियों को परेशान करने की क्या आवश्यकता है?

संसाधन कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं?

इन योजनाओं के लिए संसाधनों के बारे में किसी को चिंता करने की जरुरत नहीं। विश्व बैंक पंड़ितों ने हमें याद दिलाया है कि पूर्व में जब बिस्मार्क ने ऐसी कल्याणकारी योजनायें घोषित की थी, तो उसने कार्बन टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। रिपोर्ट ने कर अदा न कर भारी मुनाफे बनाने वाली कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने का काल्पनिक सुझाव भी पेश किया है। उन्होंने टैक्स न देने वाली डीजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी टैक्स के दायरे में लाने की बात की है। इसलिए, विचार एकदम स्पष्ट है। पूँजीपति अब न्यूनतम वेतन का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्हें इससे छुटकारा पाने दो।

इस तरह, विश्व विकास रिपोर्ट 2019 कुछ बहुत ही खतरनाक बातें सामने रखती है। इनका विरोध करना केवल मजदूरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम जन–हितैषी कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट की वर्ग दृष्टि के बारे में वे जनता को शिक्षित करें।

''विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में मजदूरों के अधिकारों को लगभग पूरी तरह से अनदेखा किया है''

पीटर बेक्विस

बैंक अपने नए डब्लूडीआर निदेशक के साथ एक कामकाजी मसौदा को इसके नवीनतम रूप (जो सप्ताह से सप्ताह तक बदलता है), तैयार करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ गया, जो मजदूरों के हकों, श्रम बाजार में विषम शक्ति और राष्ट्रीय आय में श्रम के हिस्से में गिरावट जैसी घटनाओं को लगभग पूरी तरह से अनदेखा करता है। यह श्रम बाजार विनियमन के एक नीति कार्यक्रम को आगे रखता है, जिसमें कम न्यूनतम मजदूरी, लचीली बर्खास्तगी की प्रक्रियाएं और यूके–शैली में शून्य–घंटे का अनुबंध शामिल हैं। परिणामस्वरूप मजदूरों की आय में गिरावट की ''सामाजिक बीमा के बुनियादी स्तर'' द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिपूर्ति जिसका वित्त पोषण उपभोग करों द्वारा किया जाएगा। डब्लूडीआर 2019ः काम की बदलती प्रकृति को एक उन्नत सामाजिक अनुबंध कहते हैं।

डब्लूडीआर 2019 का कामकाजी मसौदा, फर्मों की बदलती प्रकृति और डिजिटलीकरण और अन्य तकनीकी नवाचारों के प्रभाव की जाँच करता है, और अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकाला है कि नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों पर निर्भर श्रम बाजार संस्थानों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ अपनी गति से चलती है। श्रम विनियम ''उन कुछ लोगों को ही सुरक्षा प्रदान करते हैं जिनके पास औपचारिक रोजगार है, जबकि अधिकांश मजदूरों को छोड़ देते हैं'' और बिस्मार्कियन सामाजिक सुरक्षा योजनाऐं (मजदूरों और नियोक्ताओं के योगदान द्वारा वित्त पोशित) बहुत पुरानी हैं क्योंकि वे विकासशील देश की केवल एक–तिहाई आबादी को कवर करती हैं।

रोजगार के औपचारिकरण का लाभ देने के लिए आईएलओ द्वारा किए गए काफी प्रयासोंः मजदूरों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा , सुरक्षित कार्यस्थलों के अधिकार, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सहित और उनके कारण कुछ विकासशील देशों में हुई वास्तविक प्रगति के बावजूद मसौदा रिपोर्ट काम के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करने के विकल्पों की जांच नहीं करती है। इसके बजाए, डब्लूडीआर अनौपचारिकता को अपरिहार्य के तौर पर लेता है और बदतर, इसका तात्पर्य है कि इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। न ही यह जांच करता है कि कैसे कॉरपोरेट रणनीतियों के माध्यम से श्रम बाजार संस्थानों की कमी को, आउटसोर्सिंग और छिपे हुए रोजगार संबंधों (उदाहरण के लिए, उबर ड्राइवरों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करने) के बारे में जानबूझकर मजदूरों की इन श्रेणियों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करके मुकाबला किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में मजदूरों को जो अपने अधिकारों की पहचान के लिए अभियानों में शामिल हैं, उनकी कंपनियों से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। डब्लूडीआर 2019 बाद में इस बात से सहमत है कि ये मजदूर कर्मचारी नहीं हैं बल्कि ''एक अलग श्रम श्रेणी के रूप में उभर रहे हैं''।

नीचे वर्णित कुछ स्वागत अपवादों के साथ, कोई भी उपाय जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना नियोक्ताओं का दायित्व मानते हैं, अस्वीकार्य है क्योंकि यह ''मजदूरों को अधिक महंगा'' बनाता है। इसी प्रकार, ''आज के श्रम नियमों'' को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे ''फर्मों के लिए एक उच्च लागत'' का कारण बनते हैं। डब्लूडीआर मसौदे का कहना है कि ''उन उपायों में से एक न्यूनतम मजदूरी {जिसका उद्देश्य} उन मजदूरों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है जो नियोक्ताओं से 'दुर्व्यवहार' के खिलाफ उनकी रक्षा करता है, जो पुनर्विचार के योग्य है। न्यूनतम मजदूरी कम होनी चाहिए और नियोक्ता उन्हें भुगतान करने से बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए, उदाहरण के लिए, उनके पास मुनाफा–साझाकरण की योजनाऐं हैं। बर्खास्तगी के खिलाफ प्रावधानों को भी कमजोर या समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि वे फर्मों और मजदूरों के लिए ''संरचनात्मक कठोरता'' तैयार करते हैं।

डब्लूडीआर 2019 के मसौदे का अविनियमन परिप्रेक्ष्य 2000 के दशक के मध्य में जारी किए गए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के शुरुआती संस्करणों को दर्शाता है, जिसने श्रम कानूनों के बड़े पैमाने पर उन्मूलन को बढ़ावा दिया क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने निवेश

और रोजगार वृद्धि को प्रभावित किया है। मजदूर आंदोलन, आईएलओ और कुछ सरकारों की जोरदार आलोचना के बाद, विश्व बैंक ने 2009 में व्यवसायी कामकाज श्रम बाजार लचीलापन संकेतक को निलंबित कर दिया और दो साल बाद श्रम कानूनों और रोजगार के बीच संबंध पर आर्थिक साहित्य की व्यापक समीक्षा षुरू की। बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2013 में प्रकाशित समग्र खोजः रोजगार, यह था कि यह संबंध व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन नहीं थाः ''रोजगार स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावों के अधिकांश अनुमान महत्वहीन या मामूली हैं।''

डब्लूडीआर 2019 के ड्राफ्ट को देखना निराशाजनक है कि डब्लूडीआर 2013 की खोज पर आधारित विशाल साक्ष्यों को खारिज करने का प्रयास किए बिना मिथक को ही पुनर्जीवित किया गया।

नियोक्ता–कर्मचारी योगदान द्वारा वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा को अस्वीकार करने के बाद, मसौदा सार्वभौमिक मूल आय (यूबीआई) और नकारात्मक आय करों के विभिन्न रूपों पर चर्चा करता है लेकिन कहता है कि राजकोषीय बोझ ''समस्याग्रस्त'' होगा और ''अन्य करों को नाटकीय रूप से बढ़ाना होगा''। रिपोर्ट, कार्बन उत्सर्जन से राजस्व बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफार्मों पर करों में कमी करने की आवष्यकता को आगे बढ़ाती है, खासतौर पर वे टैक्स स्वर्ग का उपयोग करते हैं। हालांकि प्रस्तावों का स्वागत है, रिपोर्ट के इस खंड में विकासशील देशों में इन करों के उत्पन्न होने की किसी भी मात्रा से वंचित है जहाँ सामाजिक सुरक्षा कवरेज कमजोर है। एक संदिग्ध बात यह है कि डब्लूडीआर 2019 में तीसरा विकल्प आगे बढ़ता है, बकाया विकल्प हैः प्रतिगामी मूल्य में करों को जोड़ा जाना है जो कि यूबीआई की तुलना में उपायों को अधिक मामूली तरीके से वित्तपोषित करता है लेकिन इसके बजाय इस हिस्से में वर्णित अनुसार सबसे गरीबों को बुनियादी सामाजिक सहायता के लिए ''सामाजिक बीमा सुधार'' का चयन करेगा।

डब्लूडीआर 2019 की भविष्य की दुनिया में जहाँ फर्मों को सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने के बोझ से मुक्त किया गया है और इच्छानुसार नौकरी से हटाने और मजदूरी का भुगतान करने की लचीलेपन तथा रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि ट्रेड यूनियनों ने ''भूमिका निभाना जारी रहेगा''। हालांकि, यह ''त्रिपक्षीय'' संवाद मॉडल (मूल में उद्धरण चिह्नित) में नहीं होगा क्योंकि इनमें अनौपचारिक क्षेत्र शामिल नहीं है। अनौपचारिक फर्मों को संवाद संरचनाओं में लाने के अलावा, रिपोर्ट ''मजदूरों की आवाज बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था'' की वकालत करती है। उत्तरार्द्ध में उन गैर सरकारी संगठनों को षामिल किया जाएगा जो श्रमिक मुद्दों और सोषल मीडिया पर काम नहीं करते हैं, जहाँ उनके नियोक्ताओं से असंतुष्ट श्रमिक शिकायत व्यक्त कर सकते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा उचित रूप से अनुमानित किए जाने के लिए।

केन्द्र एवं राज्य सरकार सेवाओं में 24 लाख पद रिक्त

(2018 में संसद के दोनों सदनों में सवालों के जवाब से संकलितः सौजन्यः टाइम्स ऑफ इंडिया)

- केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास लगभग 24 लाख पद रिक्त हैं जिसमें 9 लाख शिक्षक, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1.1 लाख शामिल हैं; (राज्य सभा, 8 फरवरी)
- देश भर में पुलिस बलों में 5.4 लाख कुल रिक्तियां हैं; (लोकसभा, 27 मार्च)
- अदालतों में 5,800 से अधिक रिक्तियां हैं; (लोकसभा, 18 जुलाई)
- रक्षा और अर्धसैनिक बलों में 1.2 लाख से अधिक रिक्त पद हैं जिसमें अर्धसैनिक बलों में 61,000 और तीनों रक्षा सेवाओं में 62,000 शामिल हैं; (राज्य सभा, 14 और 19 मार्च; लोकसभा 4 अप्रैल)
- रेलवे में गैर राजपत्रित कर्मचारियों के बीच 2.5 लाख खाली पद हैं; (राज्य सभा, 16 मार्च)
- डाक विभाग में 54,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं; (लोकसभा, 28 मार्च)

स्वास्थ्य केंद्रों में 16,000 डॉक्टर और बाकी नर्स और अन्य सहित 1.5 लाख रिक्तियां हैं; (राज्य सभा, 6 फरवरी)

उद्योग एवं क्षेत्र

योजना मजदूर

आंगनवाड़ी मजदूरों की आंशिक जीत

सीटू के ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स (एआईएफएडब्ल्यूएच) ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके निरंतर संघर्श के माध्यम से मोदी सरकार को उनके पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा करने के लिए मजबूर करने पर बधाई दी। एआईएफएडब्ल्यूएच ने 11 सितंबर को एक बयान में कहा कि यह 5 राज्य विधानसभा चुनावों और अगले साल संसद चुनाव की पूर्व संध्या पर एक रिश्वत के रूप में भी आया है।

एआईएफएडब्ल्यू ने उसी दिन सुबह सरकार द्वारा आंगनवाड़ी मजदूरों के पारिश्रमिक में 1500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी मजदूरों को 1250 रुपये और हेल्पर्स को 750 रुपये प्रति माह तक घोषित करने का जवाब दिया था; लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय बोझ साझा करने, जैसा कि आईसीडीएस में मौजूद है।

यह स्वतंत्र रूप से और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तहत 4 साल के लंबे संघर्ष तथा 5 सितंबर को मजदूर किसान संघर्ष रैली जिसमें लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया का परिणाम है। एआईएफएडब्ल्यू ने लंबित मांगों पर लाभार्थियों के 3 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए।

हालांकि, सरकार ने बजट आवंटन में कटौती आदि सहित अन्य संबंधित लम्बे समय से लंबित मांगों, कमियों को संबोधित नहीं किया है।

इस आंशिक उपलब्धि के साथ, एआईएफडब्ल्यूएएच ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से आत्मविश्वास के साथ, योजना श्रमिकों के लिए 45वीं आईएलसी की सिफारिशों – कर्मचारियों के रूप में वैधानिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी के रूप में रु० 18,000; और पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा; आधार के साथ जोड़ने के नाम पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और लाभार्थियों के बहिष्कार पर निर्णय वापस लेने आदि के तत्काल कार्यान्वयन की माँग के लिए देशव्यापी जुझारु संघर्ष की तैयारी करने के लिए कहा है।

आशा श्रमिकों के संघर्ष में आंशिक उपलब्धि

प्रधान मंत्री की 11 सितंबर की घोषणा, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा मजदूरों की सेवाओं के महत्व को पहचानने और उनके प्रोत्साहनों को दोगुना करना, सीटू के नेतृत्व में आशा वर्कर्स देशव्यापी संघर्षों में शामिल थे; 5 सितंबर मजदूर किसान संघर्ष रैली; और आने वाले 5 राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों; की मजबूर परिस्थितियों में था, यह उसी दिन एक बयान में आशा वर्कर्स (एआईसीसीएडब्ल्यू) की सीटू की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने कहा। आशा वर्कर्स के लिए प्रधान मंत्री द्वारा घोषित बीमा योजनाएं पहले से ही मौजूदा सरकारी योजनाऐं हैं।

हालांकि, एआईसीसीएडब्ल्यू ने आशा श्रमिकों के प्रति सरकार के टुकड़े–टुकड़े मेहरबानी के दृष्टिकोण की निंदा की और योजना श्रमिकों के लिए 45वीं आईएलसी की सिफारिशें – मजदूरों के रूप में वैधानिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी रु० 18,000 और पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन की माँग की और आशा वर्कर्स की आंशिक उपलब्धि के बाद आत्मविश्वास के साथ आने वाले संघर्षों के लिए तैयारी करने का आह्वान किया है।

पीएम की घोषणा में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में कोई वृद्धि नहीं

देशव्यापी विरोध

11 सितंबर की प्रधान मंत्री की घोषणा में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के पारिश्रमिक में वृद्धि, लेकिन मध्याह्न भोजन (एमडीएम) मजदूरों को किसी भी वेतन वृद्धि से इनकार करने के खिलाफ सीटू के मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ने 24 सितंबर को एमडीएम कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी विरोध दिवस आयोजित करने का आह्वान किया है जिसमें एमडीएम श्रमिकों के लिए 45वीं आईएलसी की सिफारिशों के अनुसार पारिश्रमिक लागू करके तत्काल वृद्धि की माँग के लिए प्रदर्शन, रैलियों और बैठकों का आयोजन करना है।

25 लाख एमडीएम कर्मचारी, उनमें से 95% गरीब महिलाऐं हैं जो लगभग 12 लाख स्कूलों में 10 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रही हैं। इसके विपरीत, उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की बहुत ही मामूली सी राशि मिलती है, वह भी एक वर्ष में 10 महीने के लिए।

सड़क परिवहन मजदूरों की ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल

के.के. दिवाकरन

7 अगस्त की सड़क परिवहन मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल विशाल व ऐतिहासिक थी जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। सड़क परिवहन मजदूरों के संगठनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति – सीटू, एटक, इंटक, एच.एम.एस., एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., ए.आई.यू.टी.यू.सी., एक्टू; सड़क परिवहन उपक्रमों के स्वतंत्र राज्य संगठनों; निजी बसों, मिनी बसों, ऑटो, टैक्सी अन्य हल्के वाहनों; माल वाहनों, ड्राईविंग स्कूलों, स्पेअर पार्टस दुकानों व ऑटोमोबाईल वर्कशॉप, पेट्रोल पंपों; प्रयोग किये गये मोटर वाहनों की एसोसिएशनों के मंच ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। कई राज्यों में समन्वय समिति के दायरे के बाहर की एसोसिएशनें भी हड़ताल में शामलि रहीं कुछ जगहों पर जहाँ हड़ताल नहीं थी वहाँ विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये।

यह हड़ताल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017 को वापस लिये जाने, पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी करने, राज्य परिवहन उपक्रमों को बचाने व वित्तीय मदद देकर उन्हे मजबूत करने, सड़क परिवहन सैक्टर के सभी हितभागियों को बचाने; असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दिये जाने; तथा परिवहन सेवा शुल्कों व थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि आदि के खिलाफ की गई थी।

हड़ताल केरल, बिहार, ओडीशा, पॉडिचेरी, असम व जम्मू व कश्मीर में पूर्ण थी। बिहार में पेट्रोल पंप कर्मी भी हड़ताल में शामिल थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता शहर को छोड़कर शेष में 80% से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल की। सत्तारुढ़ तृणमूल सरकार व पार्टी द्वारा कड़े विरोध के बावजूद 6 जिलों में टी.एम.सी. यूनियनों के साथ जुड़े मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए। तमिलनाडू में निजी क्षेत्र में पूर्ण तथा राज्य परिवहन उपक्रमों में 60% हड़ताल रही। मध्यप्रदेश में, 30 जिलों में हड़ताल पूर्ण थी तथा शेष जिलों में आंशिक थी। हरियाणा व उत्तराखंड में राज्य परिवहन निगम की बसें सड़कों पर नहीं आयीं। तेलंगाना में राज्य परिवहन निगम में पूर्ण व निजी क्षेत्र में 75% हड़ताल रही। आँध्रप्रदेश में 13 जिलों में ऑटो, टैक्सी व लॉरी मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। ट्रकों, ट्रॉलर, टैंकर व बस मजदूरों की हड़ताल के चलते पारपद्वीप पोर्ट पर काम दोपहर तक पूरी तरह से बंद रहा।

त्रिपुरा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र व राजस्थान में हड़ताल आंशिक रही। राजस्थान में सीकर व जयपुर में ऑटो मजदूर हड़ताल पर रहे। झारखंड में 8 जिलों में हड़ताल रही। दिल्ली में 75% ऑटो हड़ताल पर रहे। चंडीगढ़ के 5 जिलों में हड़ताल रही। अनेक राज्यों में बी.एम.एस. के कार्यकर्ता भी हड़ताल में शामिल हुए।

हड़ताल के समर्थन में ऑल इंडिया ट्राँसपोर्ट डिपार्टमेंट टेक्नीकल ऑफीसर्स एसोसिएशन, केरल एन.जी.ओ. यूनियन तथा ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल्स ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शन व कार्यक्रम किये गये। बिहार में कर्मचारी संगठनों व एडवोकेट एसोसिएशन तथा उनके सदस्यों ने हड़ताली मजदूरों के समर्थन में अपने वाहन नहीं चलाये। मध्यप्रदेश में, सीटू राज्य समिति ने हड़ताल के समर्थन में अपने सम्पर्क नम्बरों के साथ परचे व पोस्टर छपवाये व वितरित किये। भापाल, जबलपुर व कुछ अन्य स्थानों से बहुत से लोगें ने सम्पर्क कर और अधिक परचे व पोस्टरों की माँग की। ऐसे अनुभव अन्य राज्यों में भी रहे। ऑल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हड़ताल में शामिल व उसका समर्थन करने वालों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है।

देश की जनता की विभिन्न तरहों से सेवा कर रही रोड़ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सरकार की गलत नीतियों के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है। मजदूरों, मालिकों, चालकों कम वाहनों के मालिकों को मोदी सरकार से कोई लाभ/मदद नहीं मिली है। एम वी ए विधेयक को एक वाहन वाले मालिकों व मजदूरों को समाप्त करने और परिवहन उद्योग को भारतीय व विदेशी कारपोरेटों को सौंपने के लिए तैयार करने हेतु बनाया गया है।

पहले प्रतिगामी रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल 2011 के विरोध में आजादी के बाद पहली बार 30 अप्रैल 2014 को ट्रांसपोर्ट मजदूर हड़ताल पर गये जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा मजदूर शामलि हुए। उसके बाद सरकार ने कुछ धाराओं को वापस लेकर तथा सुरक्षा विधेयक में जुर्माने के प्रबंधन में बदलाव करते हुए इसे मोटर व्हीकल संशोधन का रुप दे दिया। लेकिन, पूरे सैक्टर को बड़े कॉरपोरेटों को सौंपने की प्रमुख मंशा बनी हुई है। एम वी ए विधेयक के विरोध में लगातार संघर्ष हुए हैं जिनमें 2 सितम्बर 2015 और 2016 की हड़ताले भी शामिल हैं।

3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों द्वारा की गई इस हड़ताल में नये इलाके और नये तबके भी शामिल हुए। तब भी मोदी सरकार विरोध कार्रवाहियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्रतिगामी पतनशील नीतियों को जारी रखे हुए है और विधोयक को पारित करने की कोशिशें कर रही है।

हड़ताल का संगठन व अभियान

ए.आई.आर.टी.एफ. की पहल पर हड़ताल को सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। मजदूर व छोटे मालिक भाजपा सरकार द्वारा पेश की गई चुनौती का समाना करने के लिए एक साथ आए। हड़ताल सफल थी और इसमें नये अनुभव हुए। यह नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई है। नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर सघन अभियान चलाया गया। सैक्टरवार व क्षेत्रवार माँगों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में लाखों परचे छपवाकर मजदूरों व उनके परिवारों के सदस्यों के बीच बंटवाये गये। माँगों को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य व जिला कन्वेंशन, वाहन जत्थे, मशाल जुलूस प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसका मजदूरों व आम लोगों पर अच्छा असर पड़ा। स्वतंत्र यूनियनों से संबद्ध मजदूर तथा वे जिनकी कोई यूनियन नहीं थी, सभी ने हड़ताल में सक्रिय भागेदारी की। मध्यप्रदेश में जहाँ परिवहन मजदूरों की कोई यूनियन नहीं है, सीटू राज्य समिति ने हड़ताल को 30 जिलों में पूर्ण रुप व शेष में आंशिक बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की।

हड़ताल के सबक

1. एक साँझे मंच पर आये रोड ट्रांसपोर्ट मजदूरों व बस व ट्रक मालिकों की हड़ताल रोड ट्रांसपोर्ट सैक्टर के इतिहास में एक मील का पत्थर है जिसने एम वी ए विधेयक को राज्य सभा में पास नहीं होने दिया। इसने भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी व जन विरोधी नीतियों को परास्त करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में मदद दी। इसलिए संयुक्त संघर्षों को और तेज किये जाने की जरुरत है। संयुक्त संघर्ष गलत नीति निर्णयों को परास्त कर कर सकते हैं। साझा उद्देश्य के लिए मजदूरों व मालिकों के ऐसे संयुक्त मंचों का हर राज्य में गठन करना होगा। **2.** आंदोलन की रस्म के स्थान पर संयुक्त हड़ताल ने इसे साझा माँगों पर आम जनता के आंदोलन में बदल दिया। इसके लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाया गया। **3.** जिन तक नहीं पहुँचे, उन तग पहुँचों के नारे को परिवहन क्षेत्र में सचेतन रुप से लागू किया जा रहा है। भारत में इस क्षेत्र में असंगठित मजदूरों की संख्या

लगभग 30 लाख है। तब भी, चूंकि हड़ताल का अभियान मजदूरों के उक व्यापक तबके व जनता तक पहुँचा, तीन करोड़ से ज्यादा मजदूर हड़ताल में शामिल हुए।

(दिवाकरन सीटू के राष्ट्रीय सचिव, ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के महासचिव व ए.आई.सी.सी.आर.टी.डब्ल्यू.ओ. के संयोजक हैं)

हरियाणा रोडवेज मजदूरों की हड़ताल ने प्रबंधन को नेता के उत्पीड़न को रद्द करने के लिए मजबूर किया

राज्य सड़क परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज के प्रबंधन ने फरीदाबाद डिपो में मैकेनिक के रूप में कार्यरत राम आसरे यादव को, हड़ताल तोड़कों के लिए बाधा उत्पन्न करने और मजदूरों को 7 अगस्त, 2018 अखिल भारतीय परिवहन हड़ताल में शामिल होने का नेतृत्व करने के आरोप में निलंबन के माध्यम से पीड़ित किया। राम आसरे यादव ऑल इण्डिया रोड़ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआईआरटीडब्लूएफ) के राष्ट्रीय सचिवों में से एक हैं।

राम आसरे को पीड़ित किए जाने के विरोध में, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने फरीदाबाद डिपो में तुरंत एक दिन की हड़ताल और राज्यव्यापी विरोध कार्रवाहियों का आह्वान किया। एआईआरटीडब्ल्यूएफ ने राज्य परिवहन मंत्री को भी ज्ञापन दिया और देषव्यापी एकजुटता कार्रवाई का आह्वान किया।

हड़ताल के दिन, प्रबंधन और यूनियन के बीच चर्चा विफल रही। यूनियन ने तब 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस सौंप दिया। प्रबंधन ने बाद में तत्काल, निलंबन आदेष रद्द कर यादव को नौकरी में वापस रखा और मजदूरों ने जीत का जश्न मनाया।

एपीएसआरटीसी में वामपंथनीत परिवहन यूनियनों की जीत

आंध्र प्रदेश स्टेट रोड़ को पीड़ित किया, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एपीएसआरटीसी) में 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले मान्यता के लिए मजदूरों के 9 अगस्त को चुनाव में एटक और सीटू यूनियनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिससे एटक की बड़ी जीत हुई, राज्य और निम्न स्तर पर और सीटू को 2 क्षेत्रों में मान्यता मिली। इंटक ने अलग से चुनाव लड़ा और 2 क्षेत्रों में जीत सका। स्वतंत्र यूनियन ने अब तक राज्य स्तर पर प्राप्त मान्यता को खो दिया।

पोर्ट और डॉक

प्रमुख बंदरगाहों में मजदूरों का वेतन समझौता

31 दिसंबर, 2016 को पिछले वेतन समझौते की समाप्ति के बाद, प्रमुख बंदरगाहों में वर्तमान 32,000 पोर्ट एण्ड डॉक मजदूरों के लिए; और लंबी बातचीत के बाद, डॉक लेबर बोर्ड; मुंबई ट्रस्ट्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोचीन, मोरमुगाओ, कांडला, पारादीप, तुतीकोरिन, न्यू मैंगलोर, जेएनपीटी और कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड एक पक्ष और पोर्ट एण्ड डॉक मजदूरों की छह फेडरेशनों – एक एचएमएस का प्रतिनिधित्व 5, अन्य एचएमएस –3, सीटू (वाटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) – 2 और इंटक, एटक और बीएमएस – प्रत्येक से एक द्वितीय पक्ष, के बीच 30 अगस्त, 2018 को मुंबई में आरएलसी (सी) के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत एक त्रिपक्षीय वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता 1 जनवरी, 2017 से पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ 5 साल के लिए मान्य है। संचित लाभों में संषोधित मूल वेतन में 10 6% की दर से फिटमैन्ट; वार्षिक वृद्धि दर 3%; दो साल में एक बार स्टेगनेशन इन्क्रीमेन्ट; महंगाई भत्ता 100% भरपायी; हल्दिया को छोड़कर मुंबई, जेएनपीटी, चेन्नई और कोलकाता में हाउस रेन्ट मूलवेतन के 30% की दर पर; विशाखापत्तनम, कोचीन, न्यू मैंगलोर और मोरमुगाओ में 20%; कांडला, तुतीकोरिन और हल्दिया में 15%; और पारादीप में 10%; शामिल है। एरियर्स का भुगतान 3 महीने के भीतर होगा।

राज्यों से

हिमाचल प्रदेश

होटल मजदूरों का महत्वपूर्ण संघर्ष और विजय

साढ़े पांच महीने से अधिक के संघर्ष के बाद, पीड़ित होने, दमन और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध के अदालती आदेश का सामना करते हुए; 17 सितंबर को षिमला के डिप्टी कमिश्नर की उपस्थिति में डायमंड रेस्तरां के प्रबंधन और सीटू से संबद्ध होटल वर्कर्स यूनियनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर हिमाचल प्रदेश के होटल मजदूरों ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की।

यह सब 30 मार्च को शुरू हुआ, जब शिमला में डायमंड रेस्तरां के प्रबंधन ने 3 मजदूरों पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर तुरन्त बर्खास्त कर दिया। विरोध में, सीटू से संबद्ध डायमंड वर्कर्स यूनियन के बैनर के तहत मजदूरों ने अगले दिन से काले बिल्ले पहने हुए, गेट मीटिंग्स आयोजित करके पीड़ित मजदूरों की बहाली की माँग की।

22 अप्रैल को प्रबंधन व यूनियन में द्विपक्षीय समझौता हुआ। लेकिन, बाद में मैंनेजमेंट ने आई डी एक्ट की धारा 18 (1) के तहत समझौते को पंजीकृत करने से और इसे लागू करने से इंकार कर दिया। अब शिमला में सभी होटल कर्मचारी, सीटू से संबद्ध हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन के नेतृत्व में एकजुटता में आंदोलन में शामिल हो गए। प्रेस की सूचना के अनुसार डायमंड रेस्तरां के मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, मॉल के अन्य होटलों के मजदूरों ने 30 मई को विरोध रैली आयोजित की, जिसमें मॉल में रेस्तरां को बंद करने के लिए मजबूर किया गया और मजदूर धरने पर बैठे, जिसने विकासनगर–खलीनी राजमार्ग पर यातायात को अवरुद्ध कर दिया।

लेकिन, प्रबंधन ने, सत्तारूढ़ दल के साथ उनके उच्च राजनीतिक संबंधों के कारण, मजदूरों पर आक्रामक रूप से अपने हमले जारी रखे, 4 जून को 23 मजदूरों को निलंबित कर दिया गया, अवैध लॉकआउट घोशित कर दिया गया और 75 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया।

यूनियनों ने श्रम विभाग कार्यालय का घेराव करके अवैध लॉकआउट के लिए प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। इस बीच, प्रबंधन ने होटल के 500 मीटर के भीतर किसी भी आंदोलन को प्रतिबंधित करने के न्यायालय के आदेश को प्राप्त किया। मजदूरों ने आंदोलन को डिप्टी कमिष्नर कार्यालय के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। सीटू ने 18–19 जून को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर अवैध लॉकआउट और मजदूरों की प्रताड़ना के खिलाफ 36 घंटे महापड़ाव का आयोजन किया।

आखिरकार, 182 दिनों के संघर्श के बाद, 14 सितंबर को डीसी की उपस्थिति में, एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में सभी बर्खास्त मजदूरों की बहाली और सभी मजदूरों को पिछले 6 महीने के वेतन का भुगतान शामिल है; मजदूर 17 सितंबर को अपना काम फिर से शुरू करेंगे और प्रबंधन मजदूरों के खिलाफ कोई प्रतिशोधी कार्रवाई नहीं करेगा।

(द्वारा: विनोद वीरसांत, हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा संघ के महासचिव और प्रेस)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

मजदूर किसान संघर्ष रैली के साथ एकजुटता में

5 सितंबर को नई दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली के साथ एकजुटता में; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैकड़ों मजदूरों ने जुलूस निकाला और सीटू के बैनर के तहत, पोर्ट ब्लेयर, रंगत बाजार, बरतंग और कैंपबेल बे टाऊन सहित कई द्वीपों में जन सभाऐं आयोजित कीं जिन्हे सीटू, सरकारी कर्मचारियों और बीएसएनएलईयू नेताओं द्वारा संबोधित किया गया।

आंध्र प्रदेश

पर्ल डिस्टिलरी कंपनी, दासता में मजदूर

पी. कल्पना

सिंगारायकोंडा प्रकाशम जिले में विजयवाड़ा–चेन्नई राजमार्ग पर स्थित है। मुन्नेर शहर पार करने के बाद बस इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों तेज गंध मिलती है। यह गंध सिंगारायकोंडा स्थित पर्ल डिस्टिलरी कंपनी से निकलती है।

पर्ल डिस्टिलरी कंपनी की स्थापना 1997 में पूर्व कांग्रेस सांसद थे और वर्तमान में तेलुगू देशम पार्टी के एमएलसी के एक राजनीतिक–औद्योगिक परिवार द्वारा की गई थी। लगभग 1500 मजदूर, उनमें से 1200 महिलाएं, इस डिस्टिलरी कारखाने में काम करती हैं। वे सिंगारायकोंडा के छः मंडलों के कई गांवों से काम करने आते हैं। कारखाने में काम की शुरुआत 5 लाइनों के साथ हुई। अब इसमें 65 लाइनें हैं। शुरुआती निवेश 60 करोड़ रुपये था। अब आय बढ़कर 1,200 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता है। राज्य में न्यूनतम वेतन रु० 365 प्रति दिन है, लेकिन यहाँ मजदूरों को केवल 230– 260 रुपये प्रति दिन का भुगतान किया जाता है।

एक श्रम आपूर्ति ठेकेदार 1997 से कारखाने के लिए मजदूरों की भर्ती कर रहा है। शुरुआत में वह मजदूरों की भर्ती के लिए अपने साइकिल पर गाँव–गाँव जाता था। वह एक किराए के घर में रहता था। अब, वह एक कार में चलता है, मुख्य सड़क पर तीन–मंजिला इमारतों का मालिक है और बच्चे विदेशी देशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन मजदूरों की जिन्दगी वही दुख भरी ही है।

मजदूरों का उपयोग काम के लिए रात में 10 बजे तक किया जाता है। वे घर जाने के बाद रात का खाना पकाते हैं और केवल मध्यरात्रि में ही सोने के लिए सक्षम हो पाते हैं। उन्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, परिवार के लिए भोजन तैयार करते हैं और काम के लिए 7.30 बजे तक घर छोड़ देते हैं। उन्हें प्रति दिन 3 घंटे के लिए ओवरटाइम पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है लेकिन इसके लिए केवल 20 रुपये का ही भुगतान किया जाता है।

महिला मजदूर बोतलों को साफ करती हैं, लेबल की जांच करती हैं और उन्हें डिब्बे में पैक करती हैं। 41 कर्मचारी एक लाइन पर काम करते हैं। बोतलों की सफाई करते समय अक्सर वे घायल हो जाती हैं। लेकिन, उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जाता है। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा भी प्रदान नहीं की जाती है। वे सीसीटीवी निगरानी के तहत काम करते हैं। उन्हें एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं है। उनका एक सेकंड के लिए भी बोतलों से दूर देखना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता हैं। उन्हें कोई कुर्सियाँ भी मुहैया नहीं की जाती है; उन्हें बैठने की अनुमति नहीं होती है।

मजदूरों को दिन में एक बार चाय दी जाती है। उनके पास आधे घंटे का लंच ब्रेक है। उन्हें केवल इस ब्रेक के दौरान ही वाशरूम का उपयोग करना होगा। उन्हें वाशरूम में जाने के लिए भी बॉयोमीट्रिक दर्ज करना होता है। अपरिहार्य होने पर भी उन्हें किसी भी समय वाशरूम में जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें काम करने की जगह पर ही खुद को हल्का होने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला मजदूर अपने मासिक धर्म के दौरान अपनी दुर्दशा का वर्णन आँसुओं के साथ कर रही थी।

ज्यादातर मजदूरों के लिए पीएफ लागू नहीं किया गया है। कई लोग यह भी नहीं जानते कि वे कवर होते हैं या नहीं। एक महिला मजदूर जो 1997 से काम कर रही है, अपने बेटे की देखरेख के लिए छुट्टी पर गयी, जिसे कुत्ते ने का काटा था। जब वह कुछ दिनों के बाद काम पर वापस आई, तो वह एक नई नियुक्ति के रूप में पंजीकृत थी। कई अन्य लोगों को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रबंधन के पक्षधरों को बेहतर लाभ प्रदान किए जाते हैं। दूसरों के साथ गालीगलौज और बुरा व्यवहार किया जाता है।

हाल ही में मजदूरों ने एक यूनियन का गठन किया और घोषणा की कि वे ओवरटाइम पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने 28 मार्च से हड़ताल शुरू की जो 19 दिनों तक जारी रही। प्रबंधन ने हड़ताल तोड़ने के लिए श्रम विभाग का असफल उपयोग किया। मजदूर एकजुट और दृढ़ रहे। आखिरकार प्रबंधन को नीचे उतरना पड़ा और आश्वस्त किया कि कानूनी न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। लेकिन, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने महिला मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। हड़ताल के दौरान लगभग 400 मजदूरों को सेवा से हटा दिया गया था। आश्वासनों के कार्यान्वयन और मजदूरों को बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रखा है। सीटू ने उन मजदूरों के संघर्ष को पूरा समर्थन दिया है।

(पी. कल्पना कामकाजी महिलाओं की प्रकाशम जिला समन्वय समिति की संयोजक हैं)

अंतर्राष्ट्रीय

टी यू आई (पेट्रोकेमिकल्स व एनर्जी)

तीसरा अधिवेशन- शानदार रुप से सफल

स्वदेश देव राय, सचिव सीटू

डब्लू एफ टी यू के एक शीर्ष ट्रेड यूनियन संगठन द ट्रेड यूनियन इंटनेशनल (कैमिकल्स एंड एनर्जी) (टी यू आइ) (पी एंड ई) का तीसरा अधिवेशन 11–12 सितम्बर को केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में हुआ जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के 160 प्रतिनिधि शामिल हुए। 40 से अधिक देशों के 115 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया था लेकिन भारत सरकार द्वारा वेनेजुएला, अल्जीरिया, पाकिस्तान, इराक, अलसल्वाडोर, जिबैती व अन्य समेत कितने ही देशों को वीजा देने से इनकार किया गया। अंततः 30 देशों से 60 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने तथा सीटू, एटक व ए आइ यू टी यू सी तथा ऑयल व नेचुरल गैस, पॉवर, कोल व फार्मास्यूटिकल की क्षेत्रवार फेडरेशनों की ओर से 96 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया।

स्वागत समिति के चेयरमैन इलामारन करीम ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव व टी यू आइ (पी एंड ई) के उपाध्यक्ष प्रशान्त नंदी चौधरी ने अधिवेशन के मुख्य दस्तावेज का पॉवर पाइन्ट प्रेजेंटेशन किया ।

महत्वपूर्ण योगदानों का एक संग्रह भी कॉंग्रेस के दस्तावेजों का हिस्सा था जिसमें डब्ल्यू एफ टी यू के महासचिव जार्ज मावरिकोस का बीज भाषण, सीटू अध्यक्ष हेमलता व एटक के कार्यकारी अध्यक्ष एच महादेवन के लेख तथा कनाडा स्थित भारतीय शोधार्थी संदीप पाई, प्रशांत नंदी चौधरी, डी डी रामानंदन, नोगेन चुतिया तथा स्वदेश देव रॉय द्वारा –ऊर्जा संक्रमण तथा ऊर्जा मजदूरों का भविष्य; समूचे विश्व में संघर्ष के पथ पर मजदूर वर्ग; ऊर्जा क्षेत्र में साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता व संघर्ष; ऊर्जा विश्व तथा ऊर्जा मजदूर; कोल उद्योग– चुनौतियाँ व संघर्ष अपस्ट्रीम पेट्रोल उद्योग का संकट तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था; विषयों पर रखे गये परचे शामिल थे।

सीटू महासचिव तपन सेन तथा केरल में वाममोर्चा सरकार के पॉवर मंत्री एम एम मणि ने भी अधिवेशन को संबोधित किया।

30 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भागेदारी की। प्रतिनिधियों ने केरल में आयी विनाशकारी बाढ़ का सामना करने में वहाँ के लोगों व वाममोर्चा सरकार के द्वारा राज्य के पुनर्निर्माण तथा लोगों के पुर्नवास के संकल्प के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। डब्ल्यू एफ टी यू के महासचिव तथा फ्रांस की एफ एन आइ सी के महासचिव ने अपनी ओर से मद्द के प्रतीक के रुप में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए योगदान राज्य के पॉवर मंत्री को सौंपा।

अधिवेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए फौरी महत्व के मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित किये। टी यू आइ (पी एंड ई) के संविधान में संशोधनों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी समिति का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। जिसमें प्रशान्त नंदी चौधरी (भारत) तथा एरिक सेलिनी (फ्रांस) को क्रमशः अध्यक्ष व महासचिव चुना गया। समिति के अन्य सदस्य अल्बानियां, अल्जीरियां, ब्राजील, क्यूबा, मिस्र, यूनान, मोरक्को व दक्षिण आफ्रिका से चुने गये। क्षेत्रीय समितियों का गठन आने वाले समय में होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों में किया जायेगा।

नवनियुक्त महासचिव एटिक सेलिनी ने निष्कर्ष प्रस्ताव पेश किया जिसे अधिवेशन ने सर्वसम्मति से पारित किया। स्वदेश देव रॉय ने वुफ्टु के उपमहासचिव तथा सभी ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल्स के समन्वयक की हैसियत से समापन भाषण दिया।

के एस वाई वर्कर्स एसोशिएसन के महासचिव तथा स्वागत समिति के साधारण संयोजक के जयप्रकाश ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

12 सितम्बर की शाम हुई जनसभा में लगभग 800 मजदूरों ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता इलामारन करीम ने की व जार्ज मावरिकोस, तपन सेन तथा टी यू आइ (पी एंड ई)के नवनियुक्त महासचिव एरिक सेलिनी ने संबोधित किया । के एस ई बी आफिसर्स एसोशिएसन के महासचिव पी वी लतीश ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

केरल में विनाशकारी बाढ़ के चलते; आयोजक समिति के लिए जिसमें प्रमुख रुप से के एस ई वी वर्कर्स एसोशिएसन तथा के एस ई बी आफिसर्स एसोशिएसन के प्रतिनिधि शामिल थे, अधिवेशन का आयोजन एक बड़ी चुनौती थी। सीटू राज्य समिति ने आयोजन समिति का दिशा–निर्देश किया।

अधिवेशन की शानदार सफलता को वुफ्टु महासचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा खुलेतौर पर स्वीकारा गया। अधिवेशन स्थल की प्ररेणादायी साजसज्जा व कुल मिलाकर सारे प्रबंध ने सभी प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया और प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक घटना कहां स्थानीय नेतागण तथा वालंटियर्स भी, इन सैक्टरों से इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वुफ्टु महासचिव की उपस्थिति, प्रतिनिधियों द्वारा अच्छे विचार–विमर्श तथा अधिवेशन में चर्चा के केन्द्र रखे गये विचारधारात्मक, राजनितिक मुद्दों व पारित प्रस्तावों से काफी खुश थे।

निष्कर्ष प्रस्ताव

पुंजीवादी अर्थव्यवस्था मजदूरों, और प्राकृतिक संसाधनों के भारी शोषण पर टिकी है; मालिकों के लिए त्वरित अधिकतम लाभ और व्यापक बहुमत के लिए बदहाली के चलते इसमें सामाजिक वर्गों के बीच मुकाबला होता है; और पर्यावरण का नाश होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत, भूमंडलीकरण को दुनिया में बहुत ही कम लोगों के हितसाधन के लिए तैयार किया गया है। पूंजीवादी का अस्तित्व व उसकी कार्यप्रणाली वास्तविक आर्थिक गतिविधि को नष्ट करती है; जनता को हकों से वंचित करती है तथा सारी दुनिया के मजदूरों पर प्रतियोगिता थोपती है।

इसके उलट हमारी प्राथमिकताओं –मानव विकास –बहुमत लोगों की फौरी भविष्य की जरुरतों को पूरा करना, व्यवहार में बराबरी–सभी के लिए सभी जगह सामाजिक गतिविधियों का अधिकार हो; तथा इन्हें आगे बढ़ाया जाये, और विकसित किया जाये।

टी यू आइ रसायन –ऊर्जा की यहाँ इस अधिवेशन में जुटी लेबर यूनियने अपने आपको पूंजीवादी को परास्त करने के क्रांतिकारी काम के लिए वर्ग संघर्ष संगठित करने तथा रसायन व ऊर्जा क्षेत्र के सभी मजदूरों को एकजुट करने के प्रति बचनबद्ध करती हैं।

हमारा दृष्टिकोण सामाजिक संघर्षों को तेज कर पूंजी के प्रभुत्व को समाप्त करना है जो नियोक्ताओं व सरकारों की राजनितिक पसंद को बदलने के लिए ऐतिहासिक रुप से प्रभावी है। इसके लिए, विभिन्न प्रगतिशील श्रमिक यूनियनों, राजनीतिक व लोकप्रिय ताकतों को सभी देशों में एक आंदोलन में लाना आवश्यक है।

क्रय शक्ति, रोजगार बढ़ाने व मजदूरों के कार्य व जीने के हलातों को बेहतर करने का संघर्ष, शांति, निरस्त्रीकरण तथा एक नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। युद्द मजदूरों की माँगों उनके दावों को दबा देता है लेकिन न तो आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठता है और न ही पूंजी के संचय पर।

उत्पादन और विनिमय के साधनों के सामाजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा (बिजली, गैस, तेल पानी, स्वास्थय(फार्मा उद्योग, स्वास्थय देखभाल तक पहुँच आदि) भोजन, शिक्षा, आवास, परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं जैसे बड़े क्षेत्रों को नागरिकों व मजदूरों के नियन्त्रण में रखा जाये। इसके लिए राष्ट्रों के एजेंडे में खुली प्रतियोगिता, लोगों व मजदूरों के बीच प्रतियोगिता के विकल्प के रुप में; तथा प्राकृतिक असंतुलन की भरपाई व लोकतंत्र को बचाने के लिए, सहयोग के साथ बदलाव की जरुरत है।

इन उद्देश्यों के साथ तथा पूंजी से मुकाबले के लिए, टीयू आइ रसायन–ऊर्जा क्षेत्र की श्रमिक यूनियनें सभी देशों के मजदूरों के लिए दावा करती हैं :

1. कर्मचारियों के लिए सामाजिक मानदंडों के अनुरुप सामूहिक गारण्टियों का उच्चतम संभव स्तर स्थापित करो; श्रमिक अधिकार; क्षेत्रवार राष्ट्रीय व प्रतिष्ठानवार सामूहिक समझौते; वेतन व कार्य संगठन (कार्य समय, कार्य हालात, सफाई व सुरक्षा सामाजिक कल्याण अधिकार व स्वतन्त्रता आदि) से जुड़ी मजदूरों की मांगों को शामिल करने के लिए सामाजिक मानक;
2. सामाजिक कल्याण के कदमों (रोजगार, स्वास्थय, पेंशन व परिवार) के उच्च स्तर स्थापित करो, जिसका वित्तपोषण विशेष रुप से पैदा की धन–संपदा से आये योगदान तथा प्रत्येक आयातित उत्पाद पर वित्तीय अंशदान लागू कर जिसकी उत्पादक देश व बिक्री वाले देश के बीच कार्य की सामाजिक कीमत के बीच अंतर के आधार पर गणना की जाये;
3. बर्खास्तगी पर रोक हो, ठेके पर ठेका करने पर रोक, पूर्ण रोजगार, बेरोजगारी तथा कभी भी जा सकने वाले रोजगार की समाप्ति;
4. न्यूनतम वेतन तथा कर लागू करो, जिसे हर देश द्वारा बिना डिप्लोमा, वोकेशनल ट्रेनिंग, बिना अनुभव वाले कर्मचारी को काम पर रखने के संदर्भ में परिभाषित किया जाये, सबसे ऊपर के वेतन को न्यूनतम वेतन के पाँच गुने सीमित किया जाये; वेतन तय करने की कसौटी केवल योग्यता हो न कि पद, जातीय या धर्म आदि;
5. सभी के लिए मुक्ति व सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से पेशे व वेतन में महिलाओं व पुरुषों के बीच बराबरी सुनिश्चित करो;
6. काम का समय कम करो, जिसे हर देश में प्रति सप्ताह 32 घंटे के उद्देश्य के हिसाब से परिभाषित किया जाये; प्रोन्नति के अवसर; 37.5 वर्ष के कार्य योगदान के उपरान्त 60 वर्ष की अयु पर सेवानिवृत्ति; पेंशन की राशि वेतन की 75 प्रतिशत, जिसकी गणना बेहतर वर्षों के आधार पर हो , और उसका पुनर्मूल्याकंन अवश्य हो;
7. हमारे पेशेवर क्षेत्र के कुछ कामों की खतरनाक प्रकषति को देखते हुए मजदूरों व आबादी के स्वास्थय व सुरक्षा की हिफाजत के लिए स्वास्थय, सफाई सुरक्षा औद्योगिक खतरे व पर्यावरण के मद्देनजर बचाव की व्यवस्था करो;
8. लेबर यूनियन गतिविधियों को अपराधीकरण से बचाओ; टी यू आइ रसायन– ऊर्जा श्रमिक स्वतन्त्रता, बराबरी व एकजुटका को दोहराती है; लिंग जेंडर पहचान, विवाहित'अविवाहित दर्जे, सामाजिक मूल, राष्ट्रीय मूल जातीय व सांस्कृतिक मूल, धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक व वैचारिक विश्वासों, लेबर यूनियन गतिविधि, जुड़ने की गतिविधि, मिलकर की जाने वाली गतिविधि, हड़ताल में भाग लेने, शारीरिक बनावट, यौनिक उन्मुख्ता, उम्र, स्वास्थय, विक्लांगता तथा जेनेटिक गुणों आदि पर आधारित भेदभाव का पुरजोर विरोध; मजदूरों की एकता के लिए व उनके हित में ताकतों को संतुलन को बनाने के लिए इन दावों व माँगों के साथ टी यू आइ रसायन– ऊर्जा श्रमिक यूनियनें चाहती हैं–

– सभी देशों में आंदोलन का निर्माण करना;
– इस क्षेत्र में वुफ्टु की गतिविधियों की प्राथमिकता के अनुरुप टी यू आइ रसायन–ऊर्जा के मजदूरों के व्यापक तबकों को संगठनबद्ध करना व लेबर यूनियनों को मजबूत करना;
– सम्मेलनों, द्विपक्षीय बैठकों, हड़ताल व प्रदर्शनों के माध्यम से लामबंदी कर यूनियनों के बीच एकजुटता का निर्माण करना;
– दावों व नियोजित कार्रवाईयों के बारे में मजदूरों व जनता के बीच व्यापक सूचना अभियान चलाना;और
– इस अधिवेशन में जुटी टी यू आइ रसायन–ऊर्जा की लेबर यूनियनें इस क्षेत्र के मजदूरों की साझा माँगों पर विश्व हडताल और प्रदर्शन दिवस आयोजित करने का फैसला।

काहिरा में टीयूआई एम एम की तीसरी कांग्रेस

पी.के. दास

वैश्विक पूंजीवादी शोषण का मुकाबला करने के लिए, दुनियां भर में ट्रेड यूनियन एकता का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन, यह एक बहुत मुश्किल काम है। यात्रा लागत सहन करने की वित्तीय क्षमता, दूरी, भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने के लिए उपयुक्त नेतृत्व आदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में प्रमुख बाधाएं हैं। कई बाधाओं के बावजूद, डब्लूएफटीयू दस विभिन्न ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल में हजारों ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है।

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल मेटल एंड माइनिंग (टीयूआई एमएम) डब्लूएफटीयू की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह बेलारूस, सूडान, चिली, गैलिसिया, क्यूबा, पेरू, ब्राजील, ग्रीस, कोलंबिया, भारत, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, पाकिस्तान, साइप्रस, बास्क देश, जर्मनी, मिस्र, बहरीन, चीन, यूके, मेक्सिको, अर्जेंटीना और वियतनाम जैसे देशों में संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन, वित्तीय बाधाओं और महत्वपूर्ण स्थानीय कार्यक्रमों के कारण, भारत भी नहीं, सभी देश सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हैं।

टीयूआई एमएम की तीसरी कांग्रेस 19 –21 जुलाई को काहिरा में आयोजित की गई थी, जो अरब दुनिया के मिस्र में 7000 साल पुरानी सभ्यता वाला शहर है। इस कांग्रेस का आयोजक मिस्र की धातु, इंजीनियरिंग और विद्युत की जनरल ट्रेड यूनियन थी। 14 देशों के कुल 21 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया, विचार–विमर्श में हिस्सा लिया और अपने संबंधित देशों में आर्थिक और उद्योग स्थितियों को समझाया। सीटू के पी के दास और स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसडब्ल्यूएफआई) के महासचिव ने कांग्रेस का उद्घाटन किया। डब्ल्यूटीएफयू के उप–महासचिव, वेलेंटाइन पांचो ने इस कांग्रेस के सामने महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाते हुए भाषण दिया। इस कांग्रेस का मुख्य विशय ''विश्व इस्पात उद्योग को बचाओ'' था। लगभग हर वक्ता ने बहुराष्ट्रीय और सुपर टेक्नोलॉजी के दोहरे हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो बड़े पैमाने पर जनशक्ति में कमी लाती है। मजदूर वर्ग के खिलाफ सरकारों की भूमिका की गंभीर आलोचना की गई थी।

आम तौर पर, सदस्य देशों के समक्ष मौजूद बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदमों का गठन करना संभव नहीं था। इस्पात उद्योग, मजदूर वर्ग और वर्गीय ट्रेड यूनियनों के समक्ष, इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए दार्शनिक और रणनीतिक रूप से उपयुक्त समझ तैयार करने के लिए, इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हालांकि, टीयूआई एमएम की तीसरी कांग्रेस ने नए देशों में संगठन का विस्तार करने के लिए निजीकरण के खिलाफ; बेहतर संचार; फंड संग्रह; सदस्य देशों के बीच नियमित और प्रभावी समन्वय; के वास्ते कुछ ठोस कार्य योजनाओं को निरुपित किया है। भारत का प्रतिनिधित्व एसडीएफआई एवं सीटू से पन्नीरसेल्वम, के.एम. श्रीनिवास राव और काली सान्याल; और एआईटीयूसी से एचजेडएल के दो प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था।

ट्रेड यूनियनों के एकजुट मंच के माध्यम से सरकार की पूंजीवादी समर्थक नीतियों के खिलाफ अपने निरंतर संघर्ष के मामले में सीटू को डब्लूएफटीयू से अत्यधिक मान्यता प्राप्त है। अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से सीटू को पेशकश की गयी। कांग्रेस ने टीयूआई एमएम के अध्यक्ष के रूप में भारत से पी के दास को चुना, ब्राजील के फ्रांसिस्को सोसा को महासचिव, बेलारूस, पेरू और क्यूबा से तीन सचिव और एषिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और रूस के छह उपाध्यक्ष चुने गए।

सभी प्रतिनिधियों ने अलेक्जेंड्रिया में एक इस्पात संयंत्र का दौरा किया और माननीय मानव संसाधन मंत्री से मुलाकात की, जो मेजबान ट्रेड यूनियन के महासचिव हैं। उन्होंने 21 जुलाई की रात को पिरामिड साइट का भी दौरा किया।

(पी के दास एस डब्ल्यू एफ आई के महासचिव व सीटू के राष्ट्रीय नेता हैं)

ट्रेड यूनियन पंजीकरण और निरीक्षण से इनकार पर सीटू की शिकायत पर आइ एल ओ का रुख

अमिताव गुहा

केन्द्र में सत्ता संभालने के बाद ही राजग सरकार ने श्रम निरीक्षण व्यवस्था को अलविदा कह दिया। अक्टूबर, 2014 में विज्ञान भवन में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री ने मजदूरों के बारे में सरकार के श्रमेव जयते कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा था कि हमारे औद्योगिक विकास के रास्ते में रोड़ा बने इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा था कि औचक तरीके से तैयार सूची में आये कंपनियों के नाम के हिसाब से वहाँ निरीक्षकों के दौरे के अपवाद को छोड़कर कोई निरीक्षण नहीं होगा और निरीक्षकों को अपनी रिपोर्ट निरीक्षण के 72 घंटे की भीतर देनी होगी।

सीटू ने ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध किया क्योंके नियम कायदों को बिना समुचित निरीक्षण व्यवस्था के लागू नहीं किया जा सकता है। सीटू ने इस मुद्दे को आइ एल ओ की कमेटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डस के सामने रखा। इस बारे में लेबर इन्सपेक्शन पर आइ एल ओ का एक विशेष कन्वेंशन है कन्वेंशन संख्या 81।

भारत सरकार इस कन्वेंशन पर अपनी सहमति दे चुकी है जो उसे इसके प्रावधानों के पालन बांधता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में उल्लेख है कि निरीक्षकों द्वारा दो प्रकार के निरीक्षण अवश्य ही किये जाने चाहियें; एक नियोक्ता को पूर्व सूचना के साथ और दूसरा ऐसी पूर्व सूचना दिये बिना। इसके अलावा यह कि सभी निरीक्षण मजदूरों या यूनियन की उपस्थित में होने चाहियें।

सीटू ने श्रम निरीक्षण की खामियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण से इनकार के मुद्दों को भी उठाया था। रेनेवेज इंडिया एम्पलाइज यूनियन को ट्रेड यूनियन पंजीकरण से इनकार का उदाहरण देते हुए कहा गया कि इसका कारण यह बताया गया कि यूनियन कुल मजदूरों के 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सीटू ने इसे चुनौती देते हुए स्पष्ट किया कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है और विशाखापट्टनम 'सेज' के विकास आयुक्त द्वारा यूनियन का पंजीकरण रोकना गैरकानूनी था।

आइ एल ओ कन्वेंशन के इस भारी उल्लंघन को सीटू द्वारा आइ एल ओ सी ए एस के समक्ष रखा गया जिसने 2015 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान श्रम मानक सुनवाई में सरकार से इस बाबत पूछा था। सी ए एस की सिफारिश में सरकार से स्पष्ट कहा गया था कि वह निरीक्षणों उनके परिणामों का निरीक्षण की स्थिति पर विस्तृत व्यौरा प्रदान करे। उन्होंने सरकार से यह भी बताने को कहा था कि क्या निरीक्षण मजदूरों और उनकी यूनियन की उपरिस्थति में किये गये। लेकिन सरकार ने इसकी न्यूनतम पालना भी नहीं की और केन्द्रीय श्रमायुक्त ने एक सर्कुलर भेजा कि कम्प्युटर द्वारा निकाली गयी औचक सूची के अलावा और कोई निरीक्षण नहीं होगा। इस उल्लंघन को फिर सी ए एस के समक्ष उठाया गया जिसने 2017 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में फिर से सुनवाई की। यहाँ एक बार फिर सी ए एस ने आइ एल ओ के निर्देशों का पालन न करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार को पालना के लिए पुनः सिफारिशें कीं।

यह देखते हुए कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही सीटू ने इस मुद्दे को फिर से सी ए एस के समक्ष रखा। सीटू ने आइ एल ओ को विशाखापट्टनम सेज विकास आयुक्त द्वारा रेनेवेज इंडिया एम्पलाईज यूनियन के पंजीकरण से इनकार के मुद्दे का स्मरण कराया। सीटू को भेजे पत्र में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ एसोशिएसन ब्रांच के मुखिया कारेन कुर्तिस ने लिखा – – '' लागू प्रक्रिया के अनुसार, आपकी शिकायत की विषयवस्तु को सरकार के पास अवलोकन के लिए भेजा जा चुका है। सरकार की इस बारे में जो भी टिप्पणी या कदम होगा उसकी जानकारी आपके संगठन को भेजी जायेगी।''

सीटू विभिन्न राज्यों में श्रम विभाग द्वारा यूनियनों के पंजीकरण से इनकार /देरी के बारे में और शिकायतों को जेनेवा में आइ एल ओ के पास भेजेगा।

(अमिताव गुहा सीटू सचिव मंडल में स्थायी आमंत्रित है)

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	tu 2018	tykbZ 2018
vk/k izns'k	xq.Vwj	280	284
	fot;okM+k	278	284
	fo'kk[kkiÿ.kue	284	288
vle	MeMek frulf[k;k	264	270
	xqokgkVh	251	259
	ycd flYpj	261	264
	efj;kuh tkjgkV	249	252
	jxkikjk rstiqj	246	249
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	306	320
p.Mhx<	p.Mhx<	293	302
NÿkhlxM+	fHkykbZ	318	322
fnYyh	fnYyh	265	283
Xkkvk	xkvk	319	332
Xkqtjkr	vgenkckn	269	274
	Hkkouxj	272	287
	jktdkV	280	290
	lwjr	264	265
	oMknjk	269	272
gfj;k.kk	Qjhnkckn	264	274
	;euk uxj	277	287
fgekpy	fgekpy çns'k	258	265
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	269	272
>kj[k.M	ckdkjks	288	294
	fxfjMhg	315	330
	te'kniqj	338	346
	>fj;k	325	340
	dksMek	338	361
	jkph gfV;k	337	360
dukVd	cqyxke	298	298
	cqxyq#	288	290
	gcyh /kkjokM+	312	317
	ejdjk	302	303
	eksjh	302	304
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	308	310
	eq.MkD;ke	309	309
	fDoyku	342	348
e/; çns'k	Hkksiky	293	313
	fNUnokM+k	290	296
	bUnkSj	266	274
	tcyiqj	291	306

jkT;	dn	tu 2018	tykbZ 2018
महाराष्ट्र	मुम्बई	293	298
	ukxiqj	329	361
	ukfld	307	335
	iq.ks	300	317
	'kksykiqj	301	310
mMhlk	vkSxqy&rkypsj	303	315
	jkmjdsyk	307	310
ikfMpsfj	ikfMpsfj	309	311
iatkc	verlj	298	319
	tkyU/kj	291	304
	ywf/k;kuk	281	286
jktLFkku	vtesj	268	279
	HkhyokM+k	278	280
	t;iqj	277	289
rfeyukMq	pUuS	268	269
	dk;EcVwj	279	277
	dUuwj	298	315
	enqjkbZ	281	283
	lqye	281	284
	fr#fpjkiYyh	289	290
rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	298	310
	gSnjkckn	250	253
	okjaxy	300	311
f=ipqjk	f=ipqjk	266	267
mÿkj çns'k	vkxjk	320	346
	xkft;kckn	292	318
	dkuiqj	303	326
	y[kuÅ	294	320
	okjk.klh	293	314
if'pe cxky	vklulksy	314	323
	nkftZfyax	263	271
	nxkiqj	316	317
	gfYn;k	321	330
	gkoM+k	280	285
	tkyikbZxqM+h	284	286
	dksydkrk	276	282
	jkuhxat	265	279
	flyhxqM+h	264	272
vf[ky Hkkjrh; lpdk		**291**	**301**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्क: ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

टीयूआई एमएम की तीसरी कांग्रेस

(रिपोर्ट पृ० 24)

शिमला में घेराव

(रिपोर्ट पृ० 19)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/10/2018)

टीयूआई (पी एण्ड ई) की तीसरी कांग्रेस

(रिपोर्ट पृ० 21)

जन सभा

परामर्श करते नेतागण:
(बाऐ से) ई.करीम, तपन सेन,
जार्ज मार्विकोस, एस. देवरॉय

सत्र में प्रतिनिधिगण

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : के हेमलता